



भारतीय रिज़र्व बैंक
निर्गम विभाग
रेल हेड काम्प्लेक्स
जम्मू-180012

<https://www.rbi.org.in>

E-Tender: केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू व कश्मीर एवं लद्दाख में बैंकनोट/सिक्कों के परिवहन के लिए पर्याप्त संख्या में पूरी तरह से ढके बंद कंटेनर ट्रक/वाहनों और पुलिस एस्कॉर्ट एवं बैंक प्रतिनिधियों के परिवहन के लिए टैक्सियों की आपूर्ति

भारतीय रिज़र्व बैंक, जम्मू केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर एवं लद्दाख में बैंकनोट/सिक्कों के परिवहन के लिए पर्याप्त संख्या में पूरी तरह से ढके बंद कंटेनर ट्रक/वाहनों और पुलिस एस्कॉर्ट एवं बैंक प्रतिनिधियों के परिवहन के लिए टैक्सियों की आपूर्ति हेतु ई-टेंडर प्रक्रिया के तहत निविदाएँ आमंत्रित कर रहा है। ई-टेंडरिंग MSTC के पोर्टल <https://www.mstcecommerce.com/eprocn> पर की जायेगी। इस टेंडर में प्रतिभागिता हेतु सभी पात्र एवं इच्छुक कंपनी/एजेंसी/फर्म को अपने आप को MSTC पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा। ई-टेंडर की सारणी निम्नानुसार है -

a)	कार्य का नाम	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर एवं लद्दाख में बैंकनोट/सिक्कों के परिवहन के लिए पर्याप्त संख्या में पूरी तरह से ढके बंद कंटेनर ट्रक/वाहनों और पुलिस एस्कॉर्ट एवं बैंक प्रतिनिधियों के परिवहन के लिए टैक्सियों की आपूर्ति।
b)	ई-टेंडर संख्या	RBI/Jammu Regional office/Estate/15/25-26/ET/954
c)	टेंडर का मोड (mode)	E-Tendering System (Part I – Technical Bid and Part II – Financial Bid) through https://www.mstcecommerce.com/eprocn
d)	पार्टी द्वारा टेंडर डाउनलोड करने की प्रारंभिक तिथि	5 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे
e)	प्री-बिड बैठक	प्री – बिड बैठक दिनांक 13 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे ऑफलाइन रूप में निर्गम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, जम्मू में आयोजित की जाएगी।
f)	टेंडर की अनुमानित लागत (Cost) – 2 वर्ष हेतु	₹23,65,000/- तेईस लाख पैंसठ हज़ार रूपये मात्र (2 वर्ष हेतु)
g)	Earnest Money Deposit	₹47,300 सैंतालिस हज़ार तीन सौ रूपये मात्र/- NEFT से - भारतीय रिज़र्व बैंक, रेल हेड काम्प्लेक्स जम्मू हेतु NEFT की विवरणी - लाभार्थी का नाम RESERVE BANK OF INDIA लाभार्थी खाता संख्या : 8714295

		IFSC -- RBIS0JMPA01 (5th and 10th being zero)
h)	टेक्निकल बिड जमा करने एवं EMD शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि	02 मार्च 2026 को प्रातः 11 बजे
i)	ट्रांजैक्शन शुल्क	भुगतान MSTC पेमेंट गेटवे / NEFT / RTGS के माध्यम से MSTC लिमिटेड के पक्ष में या M/s MSTC लिमिटेड द्वारा सलाह के अनुसार किया जाना चाहिए। (लेन-देन शुल्क RBI द्वारा नहीं लिया जाएगा)।
j)	MSTC के पोर्टल https://www.mstcecommerce.com/eprocn पर टेंडर शुरू करने एवं टेक्निकल / फाइनेंसियल बिड जमा करने की प्रारंभिक तिथि	5 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे
k)	MSTC के पोर्टल https://www.mstcecommerce.com/eprocn पर टेंडर बंद करने एवं टेक्निकल / फाइनेंसियल बिड जमा करने की अंतिम तिथि	02 मार्च 2026 को प्रातः 11 बजे
l)	पार्ट 1 टेक्निकल बिड खोलने की तिथि एवं समय	02 मार्च 2026 को दोपहर 12 बजे
m)	पार्ट 2 वित्तीय (price) बिड खोलने की तिथि एवं समय	तिथि और समय सभी पात्र निविदाकारों को उनकी पंजीकृत ई-मेल आईडी के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
n)	संपर्क करने हेतु पता/ ईमेल पता	निर्गम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, रेल हेड काम्प्लेक्स त्रिकुटा नगर जम्मू – 180012 दूरभाष – 0191-2440759 ईमेल : issuejammu@rbi.org.in

*यदि उपरोक्त में उल्लिखित किसी भी तिथि को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित उद्देश्य के लिए अगला कार्यदिवस प्रभावी होगा।

नोट: सभी निविदाकर्ताओं को यह ध्यान रखना होगा कि भविष्य में जारी किए गए इस ई-टेंडर में कोई संशोधन/सुधार, केवल भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर अधिसूचित किये जाएंगे और इसकी कोई सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं की जाएगी।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
जम्मू



**भारतीय रिज़र्व बैंक
निर्गम विभाग
जम्मू**

01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2028 तक की अवधि (यानी दो वित्तीय वर्षों के लिए) के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में बैंकनोट/सिक्कों के परिवहन के लिए पर्याप्त संख्या में पूरी तरह से कवर कंटेनर ट्रक/वाहनों और पुलिस एस्कॉर्ट एवं बैंक और/या आरबीआई प्रतिनिधियों के परिवहन के लिए टैक्सियों की आपूर्ति हेतु ई-निविदा।

RBI/Jammu Regional office/Estate/15/25-26/ET/954

भारतीय रिज़र्व बैंक
निर्गम विभाग
रेल हेड कॉम्प्लेक्स, जम्मू
जम्मू - 180012
भारत



दावा-अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंक), निर्गम विभाग, जम्मू ने इच्छुक पक्षों को संविदा की पृष्ठभूमि की जानकारी देने के लिए यह दस्तावेज़ तैयार किया है। जबकि बैंक ने इसमें निहित सूचना तैयार करने में सावधानी बरती है और इसे ठीक माना है, फिर भी न तो बैंक और न ही इसके कोई अधिकारी या एजेंसी और न ही उनके संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार इस दस्तावेज़ में निहित जानकारी या इससे संबद्ध देने योग्य किसी अन्य जानकारी की पूर्णता या सटीकता के बारे में कोई वारंटी या अभ्यावेदन (व्यक्त रूप में हो या निहित हो) प्रदान करते हैं।

जरूरी नहीं है कि यह जानकारी संपूर्ण हो। इच्छुक पक्षों को स्वयं पूछताछ कर लेनी चाहिए और निविदा में भाग लेने वालों को लिखित रूप में यह पुष्टि करने की आवश्यकता होगी कि उन्होंने ऐसा किया है और वे निविदा प्रस्तुत करने में केवल बैंक द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर भरोसा नहीं करते हैं। यह जानकारी इस आधार पर प्रदान की जा रही है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक या इसके किसी अधिकारी या एजेंसी या उनके किसी संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों के लिए गैर-बाध्यकारी है।

भारतीय रिज़र्व बैंक करार पर आगे न बढ़ने या करार के विन्यास को बदलने, इस दस्तावेज़ में वर्णित टाइम टेबल को बदलने या अपनाई जाने वाली प्रक्रिया/पद्धति को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यह इस निविदा में रुचि व्यक्त करने वाले किसी पक्ष के साथ इस मामले में और अधिक चर्चा की मनाही का अधिकार भी रखता है। रुचि व्यक्त करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा।



विषय-सूची

खंड I	निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)
खंड II	ई-प्रोक्योरमेंट के लिए महत्वपूर्ण निर्देश
खंड III	बोलीकर्ताओं (ITB) हेतु निर्देश
खंड IV	करार के नियम और शर्तें
खंड V	निविदा प्रपत्र – भाग- I (तकनीकी बोली)
खंड VI	तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची
खंड VII	भाग- I का मूल्यांकन (तकनीकी बोली)
खंड VIII	निविदा प्रपत्र – भाग- II (मूल्य बोली)



भारतीय रिज़र्व बैंक
निर्गम विभाग
जम्मू

खंड - I
निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)

अनुसूची (एसओटी)

(केवल ई-प्रोक्योरमेंट के माध्यम से) भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद "आरबीआई" के रूप में संदर्भित) द्वारा पात्र बोलीदाताओं से 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2028 तक, यानी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में दो वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए बॉक्स में पैक किए गए बैंक नोटों और/या बैग और टैक्सी में पैक किए गए सिक्कों के परिवहन के लिए पर्याप्त संख्या में पूरी तरह से कवर हुए कंटेनर ट्रकों/वाहनों की आपूर्ति के लिए दो भागों में निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

- विस्तृत निविदा सूचना के साथ ई-निविदा एमएसटीसी की वेबसाइट <https://www.mstcecommerce.com/eprocn> और बैंक की वेबसाइट पर <https://www.rbi.org.in> मेनू "निविदाएं" के तहत उपलब्ध है।
- सभी इच्छुक बोलीदाताओं को एमएसटीसी के साथ खुद को पंजीकृत करना होगा और सभी सहायक दस्तावेजों के साथ उपरोक्त संदर्भित ई-टेंडरिंग पोर्टल के माध्यम से अपनी बोलियां दिनांक 02 मार्च 2026 को प्रातः 11 बजे तक प्रस्तुत करनी होंगी, जो सभी मामलों में पूर्ण हों। तकनीकी बोलियां 02 मार्च 2026 को प्रातः 12 बजे को इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएंगी। तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं के लिए मूल्य बोलियों की प्रारंभिक तिथि ऐसे सभी वेंडरों को लिखित रूप (ईमेल के माध्यम से) में सूचित की जाएगी, जिसमें निर्धारित उद्घाटन से पहले प्राप्त की जाने वाली पावती होगी।
- कार्य की अनुमानित लागत लगभग ₹11,82,500/- (ग्यारह लाख बयासी हजार पांच सौ रुपये) (जीएसटी को छोड़कर) प्रति वर्ष है; और दो वर्षों के



लिए कार्य की कुल लागत लगभग ₹23,65,000/- (तेईस लाख पैसठ हजार रुपये मात्र) (जीएसटी को छोड़कर) है, हालांकि, वास्तविक राशि भिन्न हो सकती है।

5. इस निविदा में केवल अर्हता मानदंडों को पूरा करने वाले ही भाग लेने के पात्र हैं। चयनित बोलीदाता दो साल की अवधि के लिए अर्थात 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2028 तक बैंक नोटों और सिक्कों के परिवहन के लिए पूरी तरह से कवर हुए पर्याप्त संख्या में कंटेनर टुक/वाहन उपलब्ध कराएंगे, जिसे जिसे एक साल की अवधि के लिए शर्तों में बदलाव के साथ /बिना बदलाव के बढ़ाया जा सकता है; बशर्ते संविदात्मक नियमों और शर्तों का संतोषजनक प्रदर्शन हो।
6. यदि ऊपर दी गई किसी भी तारीख में छुट्टी घोषित की जाती है तो यहाँ उल्लिखित संबंधित प्रयोजनों हेतु अगला कार्यदिवस गणना में लिया जाएगा। निविदा दस्तावेज www.rbi.org.in और www.mstcecommerce.com से डाउनलोड किया जा सकता है। इस निविदा के संबंध में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण केवल भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट/ई-पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इस निविदा के संबंध में कोई भी संशोधन / शुद्धिपत्र / स्पष्टीकरण केवल वेबसाइट / ई-पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। निविदाकार को किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र / स्पष्टीकरण के लिए उपरोक्त वेबसाइट / ई-पोर्टल का नियमित अवलोकन करना चाहिए।
7. सफल बोलीकर्ता / बोलीकर्ताओं द्वारा ऊपर निर्दिष्ट सेवाएं भारतीय रिज़र्व बैंक, निर्गम विभाग, जम्मू को प्रदान की जानी हैं।



ई-निविदा प्रक्रिया की अनुसूची इस प्रकार है:

क्रम सं	ई-निविदा अनुसूची	निर्धारित तिथि और समय
1	ई-निविदा संख्या	RBI/Jammu Regional office/Estate/15/25-26/ET/954
2	कार्यों का विवरण	01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2028 तक की अवधि (यानी दो वित्तीय वर्षों के लिए) के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में बैंकनोट/सिक्कों के परिवहन के लिए पर्याप्त संख्या में पूरी तरह से कवर बंद कंटेनर ट्रक/वाहनों और पुलिस एस्कॉर्ट एवं बैंक और/या आरबीआई प्रतिनिधियों के परिवहन के लिए टैक्सियों की आपूर्ति हेतु ई-निविदा।
3	निविदा का प्रकार	एमएसटीसी ई-वाणिज्यिक साइट (https://www.mstcecommerce.com/eprocn) पर ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली (भाग I – तकनीकी बोली और भाग II – वित्तीय बोली)
4	कार्य का अनुमानित लागत	दो वर्षों के लिए कार्य की कुल लागत लगभग ₹23,65,000/- (तेयस लाख पैसठ हजार रुपये मात्र) (जीएसटी को छोड़कर) है। वास्तविक राशि भिन्न हो सकती है।
5	पक्षकारों के लिए डाउनलोड हेतु उपलब्ध निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) की तिथि	05.02.2026 प्रातः 11 बजे
6	लेनदेन शुल्क	भुगतान MSTC पेमेंट गेटवे / NEFT / RTGS के माध्यम से MSTC लिमिटेड के पक्ष में या M/s MSTC लिमिटेड द्वारा सलाह के अनुसार किया जाना चाहिए। (लेन-देन शुल्क RBI द्वारा नहीं लिया जाएगा)।
7	बयाना जमा राशि (ईएमडी)	₹ 47,300/- (सैंतालीस हजार तीन सौ मात्र) नाम: - आरबीआई जम्मू



		खाता संख्या: - 8714295 खाता प्रकार: - वर्तमान IFSC कोड: - RBIS0JMPA01 (दोनों शून्य) NEFT इनवर्ड खाता
8	ऑनलाइन जमा करने के लिए ई-टेंडर शुरू होने की तिथि	02.03.2026 प्रातः 11 बजे
9	<u>ऑफ़लाइन</u> – बोली पूर्व बैठक	13.02.2026 प्रातः 11 बजे, निर्गम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, जम्मू (रेल हेड कॉम्प्लेक्स, जम्मू) में – ऑफ़लाइन रूप से
10	MSTC के पोर्टल https://www.mstcecommerce.com/eprocn पर टेंडर बंद करने एवं तकनीकी / वित्तीय बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	02.03.2026 प्रातः 11 बजे
11	ईएमडी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	02.03.2026 प्रातः 11 बजे
12	तकनीकी बोली खोलने की तिथि	02.03.2026 दोपहर 12 बजे
13	मूल्य बोली खोलने की तिथि	तकनीकी बोली की जांच के बाद पात्र पाए गए निविदाकारों को दिनांक और समय की सूचना उनके द्वारा प्रदान की गई ईमेल आईडी पर दी जाएगी।

बैंक सबसे कम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी ई-निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

नोट: सभी निविदाकार ध्यान दें कि ई-निविदा में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र, यदि भविष्य में जारी किया जाता है, तो केवल बैंक की उपरोक्त वेबसाइट और



एमएसटीसी (ई-पोर्टल) पर अधिसूचित किया जाएगा; और किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिजर्व बैंक
निर्गम विभाग
रेल हेड
कॉम्प्लेक्स, जम्मू
जम्मू - 180012



खंड - II

ई-प्रोक्योरमेंट के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे अपनी ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने से पहले इस निविदा के नियमों और शर्तों को पढ़ लें।

ई-टेंडर की प्रक्रिया:

पंजीकरण: इस प्रक्रिया में **MSTC** ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के साथ वेंडर का पंजीकरण शामिल है जो कि निः शुल्क है। पंजीकरण के बाद ही, वेंडर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी बोली प्रस्तुत कर सकते हैं। तकनीकी बोली के साथ-साथ वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली-प्रक्रिया इंटरनेट पर की जाएगी। वेंडर के पास हस्ताक्षर करने के लिए तृतीय श्रेणी का डिजिटल प्रमाण पत्र होना चाहिए। वेंडरों को बोली लगाने के लिए इंटरनेट से जुड़े पीसी की स्वयं व्यवस्था करनी होगी। ऐसी व्यवस्था करने के लिए **MSTC** जिम्मेदार नहीं है। (डिजिटल सिग्नेचर के बिना बोलियां रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी)।

नोट: तकनीकी बोली और मूल्य बोली को

www.mstcecommerce.com/eprocn पर

ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाए:

1. वेंडरों को www.mstcecommerce.com => ई-प्रोक्योरमेंट => पीएसयू/सरकारी विभाग के साथ खुद को ऑनलाइन पंजीकृत करना आवश्यक है। => आरबीआई लोगो का चयन करें => वेंडर के रूप में पंजीकरण करें => विवरण भरना और स्वयं की यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना = सबमिट > करें।

2. वेंडरों को पंजीकरण फॉर्म भरने के वक्त दिए गए ईमेल पर उनके पंजीकरण की पुष्टि का एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा। किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में कृपया आरबीआई / एमएसटीसी से संपर्क करें (ई-टेंडर के निर्धारित समय से पूर्व)।

संपर्क व्यक्ति (आरबीआई):

1. अनिल कुमार रेशी, सहायक महाप्रबंधक



ईमेल: anilkumarreshi@rbi.org.in,
09419205380

फ़ोन:

2. सौरभ गुप्ता, प्रबंधक,
ईमेल: saurabhgupta1@rbi.org.in,
08699407524

फ़ोन:

(iii) अर्सलान खान, सहायक प्रबंधक
ईमेल: arsalankhan@rbi.org.in

फ़ोन: 09910139306

(iv) रजत शर्मा, सहायक

ईमेल: rajatsharma1@rbi.org.in

फ़ोन: 07006153216

संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी लिमिटेड):

एमएसटीसी सेंट्रल हेल्पडेस्क नंबर- 033-
23400020/23400021/23400022

ईमेल आईडी - helpdesk@mstcindia.co.in

संपर्क व्यक्ति (MSTC):

1 श्री नितिन आनंद

प्रबंधक (एनआरओ)

मोबाइल नंबर: 9769760074

ईमेल: bmcdgmstc@mstcindia.in

2 श्री पंकज कुमार

उप प्रबंधक (एनआरओ)

मोबाइल नंबर 7229068247

ईमेल - cdgopn2@mstcindia.in

ख) सिस्टम आवश्यकताएँ:

1. विंडोज 7 या उससे ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम
2. आईई-7 और इसके बाद के संस्करण इंटरनेट ब्राउज़र।
3. हस्ताक्षर प्रकार डिजिटल हस्ताक्षर



4. नवीनतम अद्यतन जेआरई 8 (x86 ऑफ़लाइन) सॉफ़्टवेयर डाउनलोड और सिस्टम में इंस्टॉल करें।
5. हस्ताक्षर बॉक्स में डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र प्रदर्शित करने हेतु "प्रोटेक्टेड मोड" को डिसेबल करने के लिए निम्नलिखित सेटिंग को लागू करें

उपकरण = > इंटरनेट विकल्प = > सुरक्षा = > संरक्षित मोड अक्षम करें यदि सक्षम है- यानी, "संरक्षित मोड सक्षम करें" का उल्लेख करने वाले टिक बॉक्स से टिक करें।

अन्य सेटिंग्स:

उपकरण = > इंटरनेट विकल्प => सामान्य => "ब्राउज़िंग हिस्ट्री / ब्राउज़िंग हिस्ट्री हटाएं" = > अस्थायी इंटरनेट फ़ाइलें => "हर बार जब मैं वेबपेज पर जाता हूँ" के तहत सेटिंग्स पर क्लिक करें

सभी सक्रिय एक्स नियंत्रणों को सक्षम करने के लिए और उपकरण के तहत 'पॉप अप अवरोधक का उपयोग करें' अक्षम करने के लिए = > इंटरनेट विकल्प = > कस्टम स्तर (कृपया एक बार पृष्ठ से आईई सेटिंग्स www.mstcecommerce.com रन करें)

2. तकनीकी बोली और मूल्य बोली आनलाइन रूप में www.mstcecommerce.com/eprocn पर प्रस्तुत की जाए। निविदाएं इस निविदा दस्तावेज़ में निर्दिष्ट तिथि और समय पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से खोली जाएंगी।
3. निविदा में सभी प्रविष्टियाँ ऑनलाइन तकनीकी और वाणिज्यिक प्रारूप में बिना किसी अस्पष्टता के दर्ज की जानी चाहिए।

4. लेन-देन शुल्क के लिए विशेष नोट:

वेंडर लेनदेन शुल्क का भुगतान वेंडर लॉगिन के अंतर्गत "My Menu" के तहत "Transaction Fee Payment" लिंक का उपयोग करके करेंगे। वेंडरों को विशिष्ट निविदा फार्म का चयन 'इवेंट ड्रॉपडाउन बॉक्स' से करना होगा। वेंडरों के पास भुगतान करने की सुविधा एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, वेंडर एक फॉर्म भरकर एक चालान जेनेरेट करेगा। वेंडर चालान में मुद्रित विवरण के अनुसार और उसे बदले बिना लेनदेन शुल्क-राशि का प्रेषण करेगा। ऑनलाइन पेमेंट का चयन करने पर वेंडर को अपने क्रेडिट / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान



करने का विकल्प प्राप्त होगा। एक बार एमएसटीसी के नामित बैंक खाते में राशि जमा हो जाने पर लेनदेन-शुल्क स्वतः अधिकृत हो जाएगा और वेंडर को एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा।

लेनदेन शुल्क गैर-वापसी योग्य है। लेन-देन शुल्क का भुगतान किए बिना वेंडर ऑनलाइन ई-टेंडर नहीं कर पाएगा।

नोट: बोलीकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे गतिविधि समाप्ति-समय के पहले ही लेन-देन शुल्क प्रेषित कर दें ताकि बोली प्रस्तुत करने हेतु उन्हें पर्याप्त समय मिल सके।

5. निविदा प्रक्रिया के दौरान निविदा को अंतिम रूप दिए जाने तक अपलोड की गई निविदाओं / शुद्धिपत्र के बारे में जानकारी ईमेल द्वारा भेजी जाएगी। इसलिए वेंडर यह सुनिश्चित कर लें कि एमएसटीसी पर पंजीकरण के समय उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई कॉर्पोरेट ईमेल आई.डी. वैध और अद्यतन हो। वेंडरों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) की वैधता सुनिश्चित कर लें।

6. एनआईटी में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-निविदा प्राप्त नहीं की जा सकती है।

7. ई-निविदा बोली:

क. ई-निविदा में ऑनलाइन बोली लगाने का पात्र होने के लिए वेंडर (वेंडरों) को आवश्यक बयाना राशि, निविदा शुल्क और लेनदेन शुल्क (यदि कोई हो) जमा करना होगा। निविदा शुल्क और लेनदेन शुल्क वापसी-योग्य नहीं है। बयाना राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल वेंडर (वेंडरों) की बयाना राशि को निविदा आमंत्रण प्राधिकारी द्वारा वापस किया जाएगा।

ख. इस प्रक्रिया में तकनीकी और वाणिज्यिक बोली इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत की जानी है।

ग. केवल वे वेंडर, जिन्होंने लेनदेन शुल्क जमा किया है, एमएसटीसी की वेबसाइट www.mstcecommerce.com → e-procurement → PSU/Govtdepts → Login under RBI → My menu → Auction Floor Manager → live event → Selection of the live event पर इंटरनेट के माध्यम से अपनी तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत कर सकते हैं।



घ. वेंडरों को जावा एप्लिकेशन रन करने की अनुमति देनी होगी। यह प्रक्रिया बिड फ्लोर खुलने के तुरंत बाद की जानी है। फिर उन्हें सामान्य शर्तें / वाणिज्यिक विशिष्टताओं को भरना होगा और उसे सेव करना होगा। इसके बाद टेक्निकल बिड पर क्लिक करना होगा। यदि यह एप्लिकेशन रन नहीं किया जाता है, तो वेंडर अपनी तकनीकी बोली को सेव / प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे।

ड. तकनीकी बोली भरने के बाद, वेंडर को अपनी तकनीकी बोली दर्ज करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना होगा। एक बार ऐसा करने के बाद वाणिज्यिक बोली लिंक सक्रिय हो जाएगा और उसे भरना होगा और फिर अपनी वाणिज्यिक बोली दर्ज करने के लिए वेंडर को "सेव" पर क्लिक करना होगा। जब तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली दोनों सेव हो जाएंगी, तब वेंडर अपनी बोली को दर्ज करने के लिए "फाइनल सबमिशन" बटन पर क्लिक करेगा।

च. वेंडरों को निर्देश दिया जाता है कि वे दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए Attach Doc button का उपयोग करें। एकाधिक दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं।

छ. अपनी बोली प्रस्तुत करते समय वेंडर को सभी मामलों में डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए।

ज. संपूर्ण ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान वेंडर पूरी तरह से एक-दूसरे के लिए और शेष सभी के लिए भी गुमनाम रहेंगे।

झ. ई-निविदा प्लेटफार्म पर घुसित तिथि और समय से और ऊपर बताई गई अवधि तक के लिए खुला रहेगा।

ञ. ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां वेंडरों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस वेंडर द्वारा की गई वैध बोली माना जाएगा और वेंडर द्वारा उसे स्वीकृत किए जाने पर वेंडर और वेंडर के बीच कार्य-निष्पादन के लिए यह एक बाध्यकारी करार हो जाएगा।

ट. यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएं अन्यथा सिस्टम द्वारा स्वीकार नहीं की जाएंगी।

ठ. वेंडर बिना कोई कारण बताए निविदा को पूर्ण या भाग में रद्द करने या अस्वीकार करने या स्वीकार करने या वापस लेने या विस्तारित करने, जैसा मामला हो, का अधिकार रखता है।

ड. निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों में कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है।



- किसी भी वेंडर द्वारा ई-निविदा प्लेटफार्म पर बोली प्रस्तुत करना, उसके द्वारा निविदा के नियमों और शर्तों को स्वीकार करने की पुष्टि करता है।
8. इस निविदा से उत्पन्न कोई भी आदेश उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा।
 9. तकनीकी और वाणिज्यिक नियमों और शर्तों में किसी भी विचलन की अनुमति नहीं है।
 10. निविदा आमंत्रण प्राधिकारी को बिना कोई कारण बताए इस ई-निविदा को रद्द करने या बोली-प्राप्ति की नियत तारीख का विस्तार करने का अधिकार है।
 11. वेंडरों से अपेक्षा से है कि वे बोली के पूर्व सिस्टम से भलीभांति परिचित हो जाने के लिए www.mstcecommerce.com/eprocn नामक पृष्ठ पर उपलब्ध वेंडर गाइड पढ़ लें और वीडियो देख लें।



खंड - III

बोलीदाताओं को निर्देश

क. सामान्य	
1. निविदा का दायरा	<p>निविदाकार बॉक्स में पैक किए गए बैंक नोटों और/या थैलियों में पैक किए गए सिक्कों के परिवहन हेतु पर्याप्त संख्या में पूर्ण रूप से कवर कंटेनर ट्रक/वाहन, जिनका बॉडी पर्याप्त मोटाई वाला धातु से निर्मित हो, जो वरीयता से गोली-रोधी/बदलाव-रोधी हो तथा सुरक्षित बदलाव-रोधी दोहरा ताला व्यवस्था, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस), सीसीटीवी और हूटर सुविधा से युक्त हो, तथा पुलिस एस्कॉर्ट या बैंक/आरबीआई प्रतिनिधियों के लिए टैक्सी की आपूर्ति करेगा। यह परिवहन निम्नलिखित स्थानों से किया जाएगा:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) रेलवे स्टेशन / एयरपोर्ट / प्रेस / सरकारी टकसाल / किसी अन्य स्थान / किसी मुद्रा तिजोरी या आरबीआई के किसी निर्गम कार्यालय से आरबीआई, जम्मू तक।(ii) आरबीआई, जम्मू से उसके अधिकार क्षेत्र में स्थित मुद्रा तिजोरी तक वाहक के जोखिम पर (सिक्कों के परिवहन के मामले में) या आरबीआई, जम्मू द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य स्थान तक।(iii) आरबीआई, जम्मू के अधिकार क्षेत्र में स्थित मुद्रा तिजोरी से आरबीआई, जम्मू तक / या आरबीआई, जम्मू द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य स्थान तक।(iv) आरबीआई, जम्मू से अन्य शहरों में स्थित आरबीआई मुद्रा जारी कार्यालयों तक वाहक के जोखिम पर (सिक्कों के परिवहन के मामले में)।



2. निषिद्ध प्रथाएँ

बैंक की अपेक्षा है कि निविदाकार, आपूर्तिकर्ता, संविदाकार, जो बैंक के साथ व्यावसायिक संबंध रखने में रुचि रखते हैं, करार/प्रतिबद्धता की अवधि के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानक का पालन करें। इस नीति के अनुसरण में, बैंक:

(ए) इस प्रावधान के प्रयोजनों के लिए, निषिद्ध प्रथाओं के रूप में नीचे निर्धारित शर्तों को परिभाषित करता है:

क. "भ्रष्ट आचरण" का अर्थ है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चीज की पेशकश, देना, प्राप्त करना, या याचना करना किसी अन्य पक्ष के कार्यों को अनुचित रूप से प्रभावित करना

ख. "धोखाधड़ी प्रथा" का अर्थ है कोई भी कार्य या चूक, जिसमें एक गलत बयानी भी शामिल है, जो जानबूझकर या लापरवाही से गुमराह करता है, या गुमराह करने का प्रयास करता है, एक पक्ष को वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त करने या किसी दायित्व से बचने के लिए;

ग. "जबरदस्ती प्रथा" का अर्थ है किसी पार्टी के कार्यों को अनुचित रूप से प्रभावित करने के लिए किसी भी पार्टी या पार्टी की संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाधित करना या नुकसान पहुंचाना, या नुकसान पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना; तथा

घ. "मिलीभगत प्रथा" का अर्थ है दो या दो से अधिक पक्षों के बीच एक व्यवस्था जो एक अनुचित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जिसमें किसी अन्य पक्ष के कार्यों को अनुचित रूप से प्रभावित करना शामिल है;

अवार्ड के लिए एक प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा यदि यह निर्धारित करता है कि पुरस्कार के लिए अनुशंसित निविदाकार प्रश्न में निविदा के लिए प्रतिस्पर्धा में निषिद्ध प्रथाओं में लगा हुआ है;



	<p>एक निविदाकार को अनिश्चित काल के लिए या निश्चित अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है, यदि, किसी भी समय, बैंक यह निर्धारित करता है कि निविदाकार करार के लिए प्रतिस्पर्धा करने या निष्पादित करने में निषिद्ध प्रथाओं में लगा हुआ है;</p>
3. पात्रता मानदंड	<p>निविदाकारों को अनुभवी, संसाधनपूर्ण, वित्तीय रूप से मजबूत और लाइसेंस प्राप्त यूनिट (कंपनी / साझेदारी / मालिकाना फर्म, आदि) होना चाहिए और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना चाहिए:</p> <p>(i) बोलीदाता को केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों/प्रतिष्ठित संगठनों को समान प्रकार की सेवाओं (समान कार्य अर्थात् एकल निविदा/संविदा के तहत निष्पादित प्रत्येक समान पूर्ण कार्य का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव (बोली खोलने से एक साल पहले वाले मार्च के अंत तक) होना चाहिए। केंद्रीय/राज्य/सार्वजनिक उपक्रम/राष्ट्रीयकृत बैंकों को प्रदान की गई सेवाएं की अवधि के साथ सेवा सूची भी प्रस्तुत करनी होगी।</p>



1. बोलीदाता को पिछले तीन वर्षों में यानी चालू वित्तीय वर्ष और पिछले तीन वित्तीय वर्षों में इसी तरह की सेवाओं को सफलतापूर्वक निष्पादित/पूरा करना चाहिए ("समान सेवाओं" की परिभाषा को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए): -

क) तीन समान पूर्ण सेवाओं के साथ प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत (दो वर्ष के) के 40% (चालीस प्रतिशत) के बराबर राशि से कम नहीं है; या

ख) दो समान पूर्ण सेवाओं के साथ प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत (दो वर्षों के) के 50% (पचास प्रतिशत) के बराबर राशि से कम नहीं है; या

ग) एक समान पूर्ण सेवा की लागत कम से कम नहीं है अनुमानित लागत (दो वर्षों का) के 80% (अस्सी प्रतिशत) के बराबर राशि

1 पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाले पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान करार की अनुमानित लागत (दो वर्षों का) का न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार (दो वर्ष) लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों द्वारा समर्थित है।

2 नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार धनात्मक निवल मूल्य। निविदाकार बैंक द्वारा विधिवत प्रमाणित सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

3 पर्याप्त मोटाई के धात्विक बाँडी वाले 5 पूरी तरह से कवर हुए कंटेनर ट्रकों/वाहनों की न्यूनतम संख्या, अधिमानतः सुरक्षित छेड़छाड़ रोधी डबल लॉकिंग व्यवस्था के साथ बुलेट/छेड़छाड़ प्रूफ, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस), सीसीटीवी और हूटर के साथ सक्षम और औसत आकार के 70 नोट बॉक्स की न्यूनतम भंडारण क्षमता वाले लगभग (82x71x32) सेमी वजन वाले लगभग 140 किग्रा/सिक्का बैग के लिए न्यूनतम 6-10 मीट्रिक टन क्षमता।



	<p>4 सात (07) सीटों वाले दो (02) यात्री वाहनों की न्यूनतम संख्या जिनका उपयोग आरबीआई, जम्मू से बैंकनोट/सिक्का प्रेषण के साथ पुलिस एस्कॉर्ट/बैंक/आरबीआई प्रतिनिधियों के परिवहन के लिए किया जाएगा।</p> <p>5 निविदाकार के पास एक वैध स्थायी खाता संख्या (पैन) और जीएसटीएन नंबर होगा, जैसा कि कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए लागू होता है।</p> <p>6 करार के सफल अवार्ड के मामले में, निविदाकार के पास करार के निष्पादन के लिए कार्यालय के नगरपालिका क्षेत्र के अंदर एक कार्यालय/स्थानीय प्रतिनिधि होगा।</p> <p>7 निविदाकार किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के साथ एक खाता बनाए रखेगा। बैंक का नाम और बनाए गए खाते की प्रकृति बैंक को प्रस्तुत की जानी चाहिए।</p> <p>नोट: निविदाकार आवश्यक योग्यता/पात्रता रखने के अपने दावों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे।</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>4. संशोधन प्रक्रिया निविदा दस्तावेज की संख्या</p>	<p>4.1 निविदाएं जमा करने की अंतिम तिथि से किसी भी समय पहले, बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर संशोधन/शुद्धिपत्र जारी करके इस दस्तावेज में संशोधन कर सकता है /एमएसटीसी पोर्टल। जारी किया गया कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र इस दस्तावेज का एक अभिन्न अंग होगा।</p> <p>4.2 भावी निविदाकारों को अपनी निविदाएं तैयार करने में किसी भी/सभी संशोधनों/शुद्धिपत्र को ध्यान में रखने के लिए उचित समय देने के लिए, बैंक अपने विवेक से, निविदाएं जमा करने की समय सीमा बढ़ा सकता है।</p>
------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

बी. निविदाओं की तैयारी



5. निविदा की लागत	निविदाकार अपनी निविदा तैयार करने और जमा करने से जुड़ी सभी लागतों को वहन करेगा, और बैंक उन लागतों के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा, भले ही निविदा प्रक्रिया का संचालन या परिणाम कुछ भी हो।
6. दस्तावेज जो निविदा में शामिल है	6.1 निविदा में निम्नलिखित शामिल होंगे: खंड I: निविदा आमंत्रित करने की सूचना (एनआईटी) खंड II: ई-खरीद के लिए महत्वपूर्ण निर्देश खंड III: बोलीदाताओं को निर्देश (आईटीबी) खंड IV: करार खंड V: निविदा प्रपत्र - भाग- I (तकनीकी बोली) के नियम और शर्तें खंड VI: तकनीकी के साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची बोली खंड VII: भाग- I का मूल्यांकन (तकनीकी बोली) धारा VIII: निविदा प्रपत्र - भाग- II (मूल्य बोली)

7. निविदा पत्र	निविदाकार बिना किसी परिवर्तन के ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षर कक्षा III का उपयोग करके निविदा जमा करेगा। सभी रिक्त स्थानों को मांगी गई जानकारी से भरना होगा।
8. निविदाकार की योग्यता प्रमाणित करने वाले दस्तावेज	धारा III (पैरा 3) के अनुसार करार करने के लिए अपनी योग्यता स्थापित करने के लिए, निविदाकार निविदा जमा करते समय सभी प्रासंगिक दस्तावेज/रिकॉर्ड/जानकारी प्रस्तुत करेगा।
9. निविदाओं की वैधता की अवधि	क) निविदा की वैधता अवधि निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से 90 दिन होगी। ख) असाधारण परिस्थितियों में, निविदा वैधता अवधि की समाप्ति से पहले, बैंक निविदाकारों से अपनी निविदाओं की वैधता की अवधि बढ़ाने का अनुरोध कर सकता है। अनुरोध और प्रतिक्रियाएं लिखित रूप में दी जाएंगी।



<p>10. निविदा प्रतिभूति के रूप में ईएमडी</p>	<p>10.1 निविदाकारों को ई-टेंडर में ऑनलाइन बोली लगाने के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक ईएमडी और लेनदेन शुल्क जमा करना होगा। लेनदेन शुल्क गैर-वापसी योग्य है। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल वेंडर (वेंडर ओं) के ईएमडी को निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकरण द्वारा वापस कर दिया जाएगा।</p> <p>10.2 एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक, जम्मू को 47,300/- रुपये (सैंतालीस हजार तीन सौ रुपये मात्र) की बयाना राशि जमा की जाएगी। एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से ईएमडी राशि के अंतरण के लिए खाता और अन्य विवरण इस प्रकार हैं:</p> <p>₹47,300/- (सैंतालीस हजार तीन सौ रुपये मात्र) नाम: - आरबीआई जम्मू खाता संख्या: - 8714295 खाता प्रकार: - Current (करेंट) (चालू खाता) IFSC कोड: - RBIS0JMPA01 (दोनों शून्य) NEFT इनवर्ड खाता</p>
<p>सी. निविदाएं जमा करना और खोलना</p>	

<p>11. सबमिशन, सीलिंग और निविदाओं का अंकन</p>	<p>11.1 इलेक्ट्रॉनिक रूप से निविदाएं जमा करने वाले निविदाकार ई-निविदा के संबंध में निर्देशों में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक ई-टेंडरिंग जमा करने की प्रक्रियाओं का पालन करेंगे।</p> <p>11.2 निविदाकार निर्धारित प्रारूप (भाग-I) में अपनी तकनीकी बोली को सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं, जो कि खंड VI में दिए गए दस्तावेजों की सूची और निर्धारित प्रारूप (भाग-II) में मूल्य बोली (प्रतिस्पर्धी दरें) के अनुसार हैं। सभी जानकारी के साथ ई-निविदा अंतिम तिथि पर निर्धारित समय पर या उससे पहले प्रस्तुत की जाएगी।</p> <p>11.3 यदि वांछित/निर्धारित सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती</p>
------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	है, तो निविदा अस्वीकृत करने के लिए बैंक कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।
12. निविदाएं जमा करने की अंतिम तिथि	12.1 निविदाएं इस दस्तावेज़ में उल्लिखित ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन भरी जानी चाहिए, इस दस्तावेज़ में इंगित तिथि और समय के बाद नहीं। 12.2 बैंक, अपने विवेक से, निविदा दस्तावेज में संशोधन करके निविदाएं प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा बढ़ा सकता है
13. देर से निविदाएं	ई-पोर्टल पर समय सीमा के बाद कोई निविदा जमा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
14. निविदा खुलना	बैंक अधिसूचित तारीख पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से निविदाएं खोलेगा।
डी. निविदाओं की जांच	
15. गोपनीयता	निविदाओं के मूल्यांकन से संबंधित जानकारी निविदाकारों, या किसी अन्य व्यक्ति को प्रकट नहीं की जाएगी, जो करार की जानकारी तक आधिकारिक तौर पर इस तरह की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है।
16. निविदाओं का स्पष्टीकरण	16.1 निविदाकारों की परीक्षा, मूल्यांकन, निविदाओं की तुलना और योग्यता में सहायता करने के लिए, बैंक, अपने विवेक पर, किसी भी निविदाकार से अपनी निविदा के स्पष्टीकरण के लिए कह सकता है, जिससे प्रतिक्रिया के लिए उचित समय मिल सके। निविदाकार द्वारा प्रस्तुत कोई भी स्पष्टीकरण जो बैंक के अनुरोध के जवाब में नहीं है, पर विचार नहीं किया जाएगा। स्पष्टीकरण के लिए बैंक का अनुरोध और उत्तर लिखित रूप में होगा। निविदा की कीमतों या पदार्थ में कोई बदलाव नहीं मांगा जाएगा, पेश



	<p>किया जाएगा, या अनुमति दी जाएगी, सिवाय इसके कि निविदाओं के मूल्यांकन में बैंक द्वारा खोजी गई अंकगणितीय त्रुटियों के सुधार की पुष्टि की जाए।</p> <p>16.2 यदि कोई निविदाकार स्पष्टीकरण के लिए बैंक के अनुरोध में निर्धारित तिथि और समय तक अपनी निविदा का स्पष्टीकरण प्रदान नहीं करता है, तो उसकी निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।</p>
ई. निविदा मूल्यांकन और तुलना	
17. निविदाकार की योग्यता	बैंक अपनी संतुष्टि के लिए यह निर्धारित करेगा कि चयनित निविदाकार तदनुसार योग्यता मानदंडों को पूरा करता है या नहीं [धारा III (पैरा 3) के साथ] ।
18. जांच/मूल्यांकन निविदाओं की संख्या	<p>दो भागों यानी "कार्य का दायरा और वाणिज्यिक स्थिति" पर भाग I और "मूल्य बोली" पर भाग II को ई-निविदा पोर्टल के माध्यम से अलग से प्रस्तुत किया जाएगा।</p> <p>1. कार्य के दायरे और वाणिज्यिक शर्तों को भाग I में निम्नलिखिते साथ प्रस्तुत किया जायेगा:</p> <p>अ. ₹47,300/- (सैंतालीस हजार तीन सौ रुपये मात्र) की राशि के लिए एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से बयाना राशि जमा । इस जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा ।</p> <p>आ. धारा VI में उल्लिखित दस्तावेज</p> <p>2. निविदा की "मूल्य बोली" पर भाग-II में अलग से प्रस्तुत की जानी है जिसमें केवल भारतीय रुपये में मूल्य शामिल हैं और खंड-VIII में दिए गए निर्दिष्ट प्रारूप में मूल्य का विस्तृत विवरण आंकड़ों और शब्दों दोनों में शामिल है । भाग II में किसी अन्य संलग्नक की अनुमति नहीं है । निविदा के भाग II में बताए गए नियम और शर्तों और विचलन, यदि कोई हो, में परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा और इसे अमान्य माना जाएगा। उद्धृत दरों को संपूर्ण कार्य के लिए माना जाएगा और बिना किसी वृद्धि के स्थिर और बाध्यकारी होगा।</p> <p>3. निविदाओं का भाग I निविदाकारों या उनके अधिकृत</p>



प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जाएगा, जो उस समय उपस्थित रहने का निर्णय लेते हैं।

4. निविदाओं की पहले जांच की जाएगी ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या वे पूर्ण हैं और निविदा दस्तावेज में निर्धारित आवश्यक और महत्वपूर्ण आवश्यकताओं, शर्तों आदि को पूरा करते हैं, जो निविदाएं बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती हैं, उन्हें अनुत्तरदायी माना जाएगा और उन्हें अनदेखा कर दिया जायेगा।

5. केवल उन्हीं निविदाकारों की मूल्य बोली (भाग II) जो निविदाओं के भाग-I की जांच के बाद पात्र पाए जाते हैं, इस दस्तावेज में उल्लिखित तारीख को खोली जाएगी।

6. बैंक उन निविदाकारों को संविदा प्रदान करेगा जिनकी बोली निविदा दस्तावेज में उल्लिखित शर्तों के प्रति पर्याप्त रूप से उत्तरदायी होने के लिए निर्धारित की गई है और जिन्होंने एल 1 आने के लिए करार के सभी घटकों के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अनुमानित के लिए उचित बोली मूल्य की पेशकश की है।

7. निविदाओं का मूल्यांकन निविदा दस्तावेज में पहले से शामिल नियमों और शर्तों के आधार पर किया जाएगा, जिसके आधार पर निविदाएं प्राप्त हुई हैं और निविदाकारों द्वारा अपनी निविदाओं में उल्लिखित नियमों, शर्तों आदि के आधार पर किया जाएगा। निविदाओं की जांच और मूल्यांकन करते समय कोई नई शर्त नहीं लाई जाएगी।

8. कार्य को वर्ष के दौरान कवर किए गए किमी (किलोमीटर) के आधार पर वितरित किया जा सकता है। कार्य का विभाजन निम्नानुसार होगा।

9. निविदाओं की पहले जांच की जाएगी ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या वे पूर्ण हैं और निविदा दस्तावेज में निर्धारित आवश्यक और महत्वपूर्ण आवश्यकताओं, शर्तों आदि को पूरा करते हैं, जो निविदाएं बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती



	<p>हैं, उन्हें अनुत्तरदायी माना जाएगा और उनकी उपेक्षा की जाएगी।</p> <p>10. केवल उन्हीं निविदाकारों की मूल्य बोली (भाग II) जो पात्र पाए जाते हैं</p> <p>अ) एक से अधिक L1 बोलीदाता होने की स्थिति में, पूरे कार्य को L1 बोलीदाताओं के बीच समान रूप से वितरित किया जा सकता है जैसे ((50:50), (33.3:33.3:33.3)) आदि।</p> <p>आ) अन्यथा, बैंक के विवेक पर, पूरे कार्य को L1 और L2 के बीच 60:40 (लगभग) के अनुपात में विभाजित किया जा सकता है, बशर्ते कि L2 बोलीदाता L1 बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित और स्वीकार की गई दरों को स्वीकार करने के लिए सहमत हो। यह L1 बोलीदाता की आपूर्ति क्षमता पर किसी भी पूर्वाग्रह के बिना है और एक संविदाकार पर पूरी तरह निर्भरता को कम करने के लिए होगा।</p> <p>इ) यदि एल2 बोलीदाता एल1 दर से मेल खाने के लिए सहमत नहीं है, तो एल3, एल4 आदि बोलीदाता को उस क्रम में शेष 40% कार्य देने के लिए एल1 दर का मिलान करने का अवसर दिया जाएगा।</p> <p>ई) यदि L2, L3, L4 आदि L1 की प्रस्तावित दर से मेल खाने के लिए सहमत नहीं हैं, तो शेष अनुमानित कार्य (40%) भी L1 बोलीदाता को प्रदान किया जा सकता है।</p>
<p>19. किसी भी निविदा को स्वीकार करने और किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का बैंक का अधिकार</p>	<p>कार्य की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, बैंक सबसे कम बोली या किसी भी निविदा को स्वीकार नहीं करने के लिए स्वतंत्र होगा और निविदा प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी या सभी निविदाओं को पूर्ण रूप या आंशिक रूप से बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है,</p>



एफ. करार प्रदान करना

**20. अवधि
करार की
संख्या**

- 20.1 बैंक से उसकी निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकार करार को लागू करने के लिए बाध्य होगा। सफल निविदाकार (ओं) को अनुभाग IV में निर्दिष्ट समझौतों के नियमों और शर्तों के अनुसार एक सप्ताह के अंदर एक समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा, और दरों की अनुसूची अंतिम रूप से पहुंची है।
- 20.2 करार दो साल की अवधि के लिए वैध होगा, यानी (1 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2028) एक बार में, जिसे बैंक द्वारा अपनी राय से एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, नियमों और शर्तों में किसी भी बदलाव के साथ/बिना संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन संविदात्मक नियम और शर्तें।



अन्य महत्वपूर्ण निर्देश:

क. सामान्य शर्तें:

1. निविदा दस्तावेज की पूर्णता के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है।
2. उद्धृत दरों के आंकड़ों और शब्दों के बीच किसी भी अंतर की स्थिति में, निविदा के मूल्यांकन के लिए शब्दों में वर्णित दर पर विचार किया जाएगा।
3. निविदाकार से अपेक्षा की जाती है कि वह निविदा दस्तावेज़ में सभी निर्देशों, प्रपत्रों, शर्तों और विशिष्टताओं की जांच करे। निविदा दस्तावेज द्वारा आवश्यक सभी/कोई भी जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफलता के परिणामस्वरूप निविदा अस्वीकृति हो सकती है।

ख. निविदाओं की अयोग्यता/अस्वीकृति की ओर ले जाने वाली स्थितियाँ

1. निविदाकार द्वारा या उसकी ओर से या उनके चयन के संबंध में राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव लाने के लिए किसी भी प्रचार से निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। ऐसे मामले में निविदाकार की निविदा अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगी, इसके अलावा न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिबंधित सूची में डाल दिया जायेगा है जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है। यदि चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसे मामलों का पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में पता चलता है, तो इस तरह की अयोग्यता तत्काल प्रभाव से होगी।
2. सभी निविदाएं सभी प्रकार से अनुलग्नकों / संलग्नकों के साथ पूरे होने चाहिए। अपूर्ण प्रपत्र, या निर्धारित प्रपत्र के अलावा किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त बोलियां या उचित दस्तावेजी साक्ष्य आदि के बिना बैंक द्वारा सही और प्राथमिक तौर पर खारिज कर दी जाएंगी।
3. फैक्स या ईमेल या निर्दिष्ट के अलावा किसी अन्य तरीके से प्राप्त निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा और प्राथमिक तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस मामले पर किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।



4. निर्धारित ईएमडी/प्रक्रिया शुल्क के बिना या उससे कम प्राप्त बोली प्रस्तावों को प्राथमिक तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
5. नियत तारीख और समय के बाद प्राप्त निविदाओं को प्राथमिक तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
6. सशर्त निविदाओं को सीधे खारिज कर दिया जाएगा, और कोई अतिरिक्त खंड पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि के बाद कोई निविदा संशोधित नहीं की जा सकती है। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि और निविदा वैधता अवधि की समाप्ति के बीच के अंतराल में कोई निविदा वापस नहीं ली जा सकती है। अंतराल के दौरान निविदा वापस लेने पर ईएमडी जब्त हो जाएगा।
8. वैकल्पिक प्रस्तावों/पूरा होने के समय की अनुमति नहीं दी जाएगी।



ग. विवाद समाधान

1. यदि करार या कार्यों के निष्पादन के संबंध में बैंक और संविदाकार/प्रतिपक्ष के बीच किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, तो पार्टियों को उस तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर आपसी चर्चा के माध्यम से, सद्भावना के माध्यम से इसे सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास करना चाहिए, जिस दिन कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को बातचीत करने/सौहार्दपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए नोटिस देता है।
2. यदि उपरोक्त अवधि के अंदर कोई सौहार्दपूर्ण समझौता नहीं हो रहा है, तो विवाद को संदर्भित किया जाएगा और अंतिम रूप से मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार मध्यस्थता या सुलह के माध्यम से हल किया जाएगा, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है। मध्यस्थ द्वारा पारित अवार्ड सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा और करार पर लागू होगा।

घ. अप्रत्याशित घटना

इस दस्तावेज़ में निहित किसी भी चीज़ के बावजूद, कोई भी पक्ष इसके तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में किसी भी देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि इस तरह की देरी इसके उचित नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण होती है, जिसमें बिना किसी सीमा के सरकारों के कार्यों, दैवीय कार्यों, प्राकृतिक या सामाजिक आपदाओं, हड़ताल, किसी भी क्षेत्र में दंगे, आतंकवादी हमला, युद्ध (घोषित और अघोषित), नेटवर्क विफलता के कारण होने वाली कोई देरी शामिल है बशर्ते कि है कि पार्टी के आपूर्तिकर्ता द्वारा इस तरह की देरी करने से हुए विलंब से उस पक्ष को देरी के दायित्व से मुक्त नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि जहां इस तरह की देरी संबंधित आपूर्तिकर्ता के उचित नियंत्रण से बाहर हो।

ड. अस्वीकरण

1. हालांकि इस दस्तावेज़ को तैयार करते समय पर्याप्त सावधानी बरती गई है, लेकिन निविदाकार स्वयं यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि दस्तावेज़ सभी तरह से पूर्ण है। किसी भी विसंगति की सूचना इस कार्यालय को तुरंत दी जाएगी। यदि एनआईटी की तारीख से सात (7) दिनों के अंदर किसी भी निविदाकार से कोई



सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि यह दस्तावेज़ सभी मामलों में पूर्ण है।

2. बैंक सभी प्रारूपों और अनुलग्नों सहित इस दस्तावेज़ को संशोधित करने, संशोधित करने या पूरक करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
3. हालांकि यह दस्तावेज़ अच्छी तरह से तैयार किया गया है, न तो बैंक और न ही उनके कर्मचारी या सलाहकार यहां किसी भी बयान या चूक के संबंध में, या सूचना की सटीकता, पूर्णता या विश्वसनीयता के संबंध में कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी, व्यक्त या निहित, या किसी भी जिम्मेदारी या दायित्व को स्वीकार करते हैं, और किसी भी कानून के तहत कोई दायित्व नहीं होगा, इस दस्तावेज़ की सटीकता, विश्वसनीयता या पूर्णता के रूप में क़ानून, नियम या विनियम, भले ही कोई नुकसान या क्षति उनकी ओर से किसी भी कार्य या चूक के कारण हो।



च. गोपनीयता कथन

1. इस निविदा दस्तावेज में निहित जानकारी या बाद में निविदाकार (ओं) को प्रदान की गई जानकारी, चाहे मौखिक रूप से या दस्तावेजी रूप में, बैंक द्वारा या उसके किसी भी कर्मचारी द्वारा, इस निविदा दस्तावेज में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होगी।
2. इस निविदा दस्तावेज का उद्देश्य निविदाकारों को उनके प्रस्तावों के कार्य में सहायता के लिए जानकारी प्रदान करना है।
3. इस निविदा दस्तावेज में प्रत्येक निविदाकार को आवश्यक सभी जानकारी शामिल करने का तात्पर्य नहीं है।
4. यह निविदा दस्तावेज सभी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है, और बैंक और/या उसके कर्मचारियों के लिए निवेश उद्देश्यों, वित्तीय स्थिति और प्रत्येक बोलीदाता की विशेष आवश्यकताओं पर विचार करना संभव नहीं है जो इस निविदा दस्तावेज को पढ़ता है या उपयोग करता है।
5. प्रत्येक निविदाकार को अपनी जांच और विश्लेषण करना चाहिए और इस निविदा दस्तावेज में जानकारी की सटीकता, विश्वसनीयता और पूर्णता की जांच करनी चाहिए और जहां आवश्यक हो, उपयुक्त स्रोतों से स्वतंत्र सलाह प्राप्त करनी चाहिए।
6. बैंक और कर्मचारी कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं देते हैं और निविदा दस्तावेज की सटीकता, विश्वसनीयता या पूर्णता के रूप में किसी भी कानून, मूर्ति, नियमों या विनियमों के तहत कोई दायित्व नहीं लेंगे।
7. यह दस्तावेज और उसमें प्रदान की गई जानकारी गोपनीय है और पूरी तरह से निविदाकार (ओं) के उपयोग के लिए अभिप्रेत है।



धारा IV

बैंक नोटों और सिक्कों के परिवहन के लिए पर्याप्त संख्या में पूरी तरह से कवर किए हुए कंटेनर ट्रकों/वाहनों की आपूर्ति के लिए करार के नियम और शर्तें

काम का दायरा:

निविदाकार पर्याप्त मोटाई की धातु की बॉडी वाले पूरी तरह से कवर हुए कंटेनर ट्रकों/वाहनों की पर्याप्त संख्या की आपूर्ति करेगा, अधिमानतः सुरक्षित छेड़छाड़ प्रूफ डबल लॉकिंग व्यवस्था के साथ बुलेट / छेड़छाड़ प्रूफ, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस), सीसीटीवी और हूटर के साथ सक्षम और बक्सों में पैक किए गए बैंक नोटों के परिवहन के लिए पुलिस एस्कॉर्ट या बैंक/आरबीआई प्रतिनिधियों के लिए टैक्सी और / या बैग में पैक किए गए सिक्कों के परिवहन के लिए:

1. रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डे/प्रेस/सरकारी टकसाल/कोई भी स्थान/कोई भी मुद्रा तिजोरी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के किसी भी निर्गम कार्यालय से भारतीय रिजर्व बैंक, जम्मू तक ।
2. भारतीय रिजर्व बैंक, जम्मू के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई, जम्मू) वेंडर के जोखिम पर अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्थित मुद्रा तिजोरियों से भारतीय रिजर्व बैंक, जम्मू द्वारा विनिदष्ट किसी अन्य स्थान के लिए।
3. भारतीय रिजर्व बैंक, जम्मू के अधिकार क्षेत्र में स्थित मुद्रा तिजोरी से आरबीआई, जम्मू/या आरबीआई, जम्मू द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य स्थान पर ।
4. भारतीय रिजर्व बैंक, जम्मू से बाहर किसी अन्य स्थान पर स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के निर्गम विभाग तक वाहक के जोखिम के साथ कार्यालयों को जारी करेगा (सिक्का परिवहन के मामले में)

वांछनीयता:

निविदाकारों को अनुभवी, संसाधनपूर्ण, वित्तीय रूप से मजबूत और लाइसेंस प्राप्त इकाई (कंपनी/साझेदारी/ मालिकाना फर्म, आदि) होना चाहिए और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना चाहिए:

1. बोलीदाता के पास केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत



बैंकों/प्रतिष्ठित संगठनों को समान प्रकार की सेवाओं (समान कार्य का अर्थ है कि एकल निविदा/करार के तहत निष्पादित प्रत्येक समान पूर्ण कार्य) का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव (बोली खोलने से पहले मार्च के महीने में समाप्त) होना चाहिए । सेवा की अवधि के साथ ऐसे केंद्रीय/राज्य/सार्वजनिक उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची के साथ प्रदान की गई सेवाएं प्रस्तुत की जाएंगी ।

2. बोलीदाता को पिछले तीन वर्षों में यानी चालू वित्तीय वर्ष और पिछले तीन वित्तीय वर्षों में इसी तरह की सेवाओं को सफलतापूर्वक निष्पादित/पूरा करना चाहिए ("समान सेवाओं" की परिभाषा को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए): -

क. तीन समान पूर्ण सेवाओं के साथ प्रत्येक लागत अनुमानित लागत के 40% (चालीस प्रतिशत) के बराबर राशि से कम नहीं है; या

ख. दो समान पूर्ण सेवाओं के साथ प्रत्येक लागत अनुमानित लागत के 50% (पचास प्रतिशत) के बराबर राशि से कम नहीं है; या

ग. एक समान पूर्ण सेवा की लागत 80% (अस्सी) के बराबर राशि से कम नहीं है

2. (ख) पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाले पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान करार की **अनुमानित लागत का कम से कम 30%** का न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों द्वारा समर्थित।

3. नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार धनात्मक निवल मूल्य । निविदाकार बैंक द्वारा विधिवत प्रमाणित सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

4. **सात (07) सीटों वाले दो यात्री वाहनों की न्यूनतम संख्या** जिनका उपयोग आरबीआई, जम्मू से बैंकनोट/सिक्का प्रेषण के साथ पुलिस एस्कॉर्ट/बैंक/आरबीआई प्रतिनिधियों के परिवहन के लिए किया जाएगा।

5. निविदाकार के पास कर्तव्यों के निर्वहन के लिए लागू स्थायी खाता संख्या (पैन) और जीएसटीएन संख्या होगी।

6. करार के सफल अवार्ड के मामले में, निविदाकार के पास करार के निष्पादन के लिए कार्यालय के नगरपालिका क्षेत्र के अंदर एक कार्यालय/स्थानीय प्रतिनिधि होगा ।

7. निविदाकार किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के साथ एक खाता बनाए रखेगा । बैंक का नाम और बनाए गए खाते की प्रकृति बैंक को प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

नोट: निविदाकार आवश्यक योग्यता/पात्रता रखने के अपने दावों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे ।



प्रारंभ/नवीनीकरण:

1. निविदा (निविदाओं) की स्वीकृति के बारे में बैंक से सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकार (ओं) करार को निष्पादित करने और कार्यान्वित करने के लिए बाध्य होंगे। सफल निविदाकार निविदा दस्तावेज की शर्तों और दरों की अनुसूची के अनुसार एक सप्ताह के अंदर बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे।
2. करार एक समय में दो साल के लिए वैध होगा (यानी, अप्रैल 2026 - मार्च 2028) जिसे बैंक द्वारा अपनी राय पर एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, नियम और शर्तों में किसी भी बदलाव के साथ/बिना संविदात्मक नियमों और शर्तों के संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन। इसके बाद उक्त सेवा के लिए नई निविदा के लिए नई बोली लगाई जा सकती है।
3. जब करार की अवधि समाप्त होने वाली होती है, तो करार के विस्तार के मामले पर बैंक द्वारा विचार किया जा सकता है। मौजूदा करार की समाप्ति से तीन महीने पहले, संविदाकार बैंक को लिखित रूप में प्रदान करेगा कि क्या वह मौजूदा नियमों और शर्तों पर एक और अवधि के लिए करार को नवीनीकृत करने के लिए तैयार है।

बयाना धन जमा:

निविदा में निर्दिष्ट कार्य की कुल अनुमानित लागत के 2 प्रतिशत की ईएमडी सभी बोलीदाताओं से अग्रिम रूप से एकत्र किया जाएगा।

निष्पादन बैंक गारंटी

1. करार मूल्य के 5% के बराबर राशि के लिए एक निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) अर्थात **₹1,18,250/-** (केवल एक लाख अठारह हजार दो सौ पचास) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अवार्ड की अधिसूचना जारी होने के 10 दिनों के अंदर संविदाकार द्वारा संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए करार की पूरी अवधि के लिए वैध संविदाकार से प्राप्त की जाएगी। पीबीजी जमा करना निविदा में निर्धारित के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में जमा करने में देरी के मामले में, पीबीजी जमा करने में देरी के लिए शुल्क बैंक दर पर संविदाकार के बिलों से वसूल किया जाएगा। पीबीजी की राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
2. निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) बैंक को होने वाले या किए जाने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए भी पूरे करार अवधि के लिए करार के उचित निष्पादन के लिए होगी। यदि करार का नवीनीकरण किया जाता है, तो



संविदाकार तदनुसार विस्तारित बैंक गारंटी प्रदान करने की व्यवस्था करेगा ।

3. बैंक प्रेषण की राशि के आधार पर बैंक गारंटी की राशि में वृद्धि करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और संविदाकार अतिरिक्त राशि की बैंक गारंटी प्रदान करेगा।

4. करार की अवधि पूरी होने के 3 महीने के बाद बैंक गारंटी बिना ब्याज के जारी की जाएगी, जब वे करार के सफल समापन से संतुष्ट हो जाएंगे और किसी भी संबंधित एजेंसी या संविदाकारों के कर्मचारियों से कोई देनदारी नहीं होगी।

संविदाकार के कर्तव्य:

वैधता अवधि पूरी होने तक करार को सफलतापूर्वक निष्पादित करना संविदाकार की जिम्मेदारी होगी । यदि संविदाकार सौंपे गए कार्य को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसका पीबीजी को जब्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा, संविदाकार को अपनी ओर से किसी भी लापरवाही के कारण बैंक को किसी भी प्रकार के नुकसान से क्षतिपूर्ति करनी होती है और जिसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है ।

1. संविदाकार, करार अवधि के दौरान, महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, निर्गम विभाग, जम्मू या उसके किसी अधीनस्थ अधिकारी (अधिकारियों) से लिखित या मौखिक मांग प्राप्त होने के 12 घंटे के अंदर, बक्से में पैक किए गए सिक्कों / मुद्रा नोटों में पैक किए गए सिक्कों के परिवहन के लिए पर्याप्त संख्या में वाहनों की आपूर्ति करेगा । इस तरह की मांग संविदाकार को टेलीफोन या मोबाइल फोन या ई-मेल या फैक्स आदि के माध्यम से दी जा सकती है। सिक्का बैग/नोट बक्से के परिवहन के लिए निर्धारित समय से कम से कम तीन घंटे पहले मौखिक रूप से या लिखित रूप में एक और नोटिस जारी करके बैंक द्वारा मांग नोटिस रद्द किया जा सकता है। ऐसे मामले में बैंक संविदाकार को पारिश्रमिक, मुआवजे आदि के माध्यम से कोई भुगतान नहीं करेगा।

2. तत्काल मामलों में, महाप्रबंधक/डीजीएम-प्रभारी, बैंक के निर्गम विभाग द्वारा प्रमाणित, बारह घंटे के नोटिस के बदले में तीन घंटे के नोटिस के साथ मांग, बैंक द्वारा की जा सकती है और तदनुसार संविदाकार द्वारा अनुपालन किया जाएगा।

3. इस प्रकार दिए गए नोटिस का अनुपालन किया जाएगा, भले ही इसके लिए शनिवार और रविवार सहित परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित सामान्य कारोबारी घंटों या सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित दिन/दिनों या इस संबंध में लागू किसी अन्य मौजूदा



क़ानून/प्रावधान से अधिक काम करने की आवश्यकता हो।

4. संविदाकार, किसी भी परिस्थिति में, बैंक की खेप ले जाने वाले वाहनों में किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित/संबंधित माल या किसी अन्य वस्तु का परिवहन नहीं करेगा। सिक्के के बैग संविदाकार को अपने जोखिम पर सौंपे जाएंगे, उसे उनके लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करनी होगी। संविदाकार बैंक के परामर्श से अपनी लागत पर सिक्कों के बीमा की व्यवस्था कर सकता है।

5. प्रेषण ले जाने वाले कंटेनर ट्रकों को सूर्यास्त के बाद निकटतम पुलिस स्टेशन या जिला पुलिस मुख्यालय या पुलिस प्राधिकारियों या बैंक द्वारा निर्देशित किसी अन्य स्थान पर रुकना पड़ सकता है। ऐसे मामलों में नाइट हॉल्ट शुल्क का भुगतान किया जाएगा और इसे निविदाकार द्वारा निविदा की मूल्य बोली ॥ में उद्धृत किया जा सकता है।

6. संविदाकार को आवश्यक रूट परमिट प्राप्त करने और सभी प्रासंगिक करों का भुगतान स्वयं करने की आवश्यकता होगी।

7. संविदाकार करार को आगे किसी अन्य को नहीं सौंपेगा। वह बैंक की पूर्व लिखित सहमति के अलावा करार के किसी भी हिस्से को किराए पर नहीं देगा। इस शर्त के उल्लंघन के मामले में, बैंक करार को रद्द कर सकता है और पीबीजी को जब्त कर सकता है।

8. किसी भी वाहन के खराब होने की स्थिति में, संविदाकार समान विशिष्टताओं के क्रेन/स्टैंड-बाय/वैकल्पिक वाहन की सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि खजाने के प्रेषण में देरी न हो।

9. संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि वाहनों के पास संबंधित आरटीओ द्वारा जारी वैध अनुमति, पंजीकरण कागजात, परमिट, पीयूसी प्रमाण पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र, अद्यतित कर का भुगतान किया गया है, बीमा कवर आदि हैं। ट्रकों के चालकों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। संविदाकार उक्त परमिट, लाइसेंस, प्रमाण पत्र आदि की कमी के कारण बैंक द्वारा किए गए या भुगते जाने वाले किसी भी नुकसान, लागत, शुल्क और खर्चों के खिलाफ बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करेगा।

10. बैंक को किसी भी समय काम के लिए संविदाकार द्वारा तैनात वाहनों का निरीक्षण या निरीक्षण की व्यवस्था करने और किसी भी वाहन/उपकरण को असुरक्षित घोषित करने और ऑपरेशन से तत्काल वापस लेने के लिए कहने का अधिकार होगा। संविदाकार इसका शीघ्र/तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

11. बैंक का कार्य उचित, सावधानीपूर्वक, शीघ्र और कुशल तरीके से किया



जाना चाहिए। नोटबॉक्स, बैंक के कर्मचारियों या अधिकारियों, बैंक की संपत्ति, सामान आदि और बैंक के परिसर में मौजूद आम जनता या किसी अन्य व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचाए बिना पूरे कार्य/गतिविधियों को अंजाम दिया जाना चाहिए। निविदाकार को संविदाकार के साथ निकट समन्वय में काम करना होगा जो मजदूरों/मजदूरों की आपूर्ति करेगा।

12. संविदाकार द्वारा आपूर्ति किए गए वाहन 10 वर्ष से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए और सड़क पर चलने योग्य और अच्छी स्थिति में होने चाहिए। इन वाहनों का स्वामित्व या तो संविदाकारों के स्वामित्व में होगा या पट्टे पर दिया जाएगा। पट्टे पर दिए गए वाहनों के मामले में, वाहनों का पट्टा करार के दौरान समाप्त नहीं होगा।

13. संविदाकार दुर्घटना, आग, चोरी, डकैती, खजाने की लूट, पारगमन में या किसी भी दोषपूर्ण वाहन द्वारा या किसी भी अक्षमता, संविदाकार के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण हुई किसी भी हानि या क्षति की प्रतिपूर्ति करेगा और बैंक को प्रतिपूर्ति करेगा।

14. संविदाकार बैंकों को वाहनों के आवधिक रखरखाव रिकॉर्ड प्रस्तुत करेगा। संविदाकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी वाहन अग्निशामक यंत्र सहित आवश्यक सुरक्षा उपकरणों से लैस हों।

15. संविदाकार के पास किसी भी समय वाहनों की आवाजाही पर नज़र रखने के लिए संचार नेटवर्क होना चाहिए। ट्रकों की निरंतर ट्रैकिंग के लिए जीपीएस प्रदान किया जाना चाहिए।

16. संविदाकार द्वारा प्रदान किए गए कंटेनर ट्रकों/बंद वाहनों को हूटर के साथ वायरलेस मोबाइल संचार प्रणाली से लैस किया जाएगा।

17. संविदाकार द्वारा प्रदान किए गए कंटेनर ट्रकों/बंद वाहनों में यात्री और कार्गो डिब्बे दोनों का हाई रिजोल्यूशन सीसीटीवी कवरेज होगा। एस्कॉर्ट पार्टी कमांडर (पुलिस) और बैंक प्रतिनिधि (पोतदार) के साथ संवाद बनाए रखा जाना चाहिए। सीसीटीवी कवरेज और इसका भंडारण इस तरह से होना चाहिए कि डिब्बों और खजाने दोनों पर पर्याप्त कवरेज हो। किसी भी परीक्षण/जांच के लिए उसी की रिकॉर्डिंग पुनर्प्राप्त की जानी चाहिए। कंटेनर ट्रक उक्त आवश्यकताओं को पूरा करते हैं या नहीं, इस बारे में अंतिम निर्णय बैंक का होगा।

भुगतान और कर:

सभी प्रकार से पूर्ण प्रत्येक खेप के लिए बिल जमा करने के बाद मासिक आधार



पर भुगतान किया जाएगा।

1. संविदाकार को इस करार की अनुसूची में उल्लिखित दरों पर प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क का भुगतान किया जाएगा। प्रस्तावित उक्त शुल्क निर्धारित हैं और पूरे करार अवधि के लिए किसी भी आधार पर नहीं बढ़ाए जा सकते हैं और संविदाकार द्वारा किसी भी अतिरिक्त शुल्क का दावा नहीं किया जाएगा। **ट्रक के शुल्क केवल तभी दिए जाएंगे जब ट्रक खजाने को ले जा रहा हो। हालांकि, पुलिस एस्कॉर्ट/बैंक कर्मियों को ले जाने वाली टैक्सी के लिए, आने और जाने के शुल्क दिए जाएंगे।**
2. संविदा मूल्य में सभी शामिल होंगे जिसमें निश्चित और परिचालन शुल्क शामिल होंगे और कार्य के दायरे, आपूर्ति किए जा रहे वाहन पर आधारित होंगे और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ अन्य कामगारों के वेतन/वर्दी/भोजन/भत्ते आदि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) भुगतान, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) भुगतान, बोनस भुगतान, ग्रेच्युटी, बीमा और ओवरटाइम मजदूरी, यदि कोई हो, सहित ड्राइवर भी शामिल होंगे। कर और शुल्क, पार्किंग शुल्क, टोल गेट शुल्क और अन्य सभी शुल्क।
3. बैंक भुगतान के बाद लेखा परीक्षा या तकनीकी जांच या किसी अन्य माध्यम से भुगतान के बाद पाए गए किसी भी अधिक भुगतान की वसूली को वसूलने/लागू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है व।
4. करार की शर्तों के तहत संविदाकार द्वारा बैंक को देय सभी मुआवजे या अन्य राशियों को संविदाकार को देय या देय होने वाली देय राशि से काट ली जाएगी। अंतिम उपाय के रूप में पीबीजी को लागू किया जा सकता है।
5. इस संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में कि क्या यहां कोई दायित्व उत्पन्न हुआ है, क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी अधिकारी, भारतीय रिज़र्व बैंक, जम्मू का निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

अयोग्यता/समाप्ति/जुर्माना:

1. यदि कोई निविदाकार निविदाकार द्वारा या उसकी ओर से कोई प्रचार करने का प्रयास करता है या अनुबंधों की जांच, तुलना, मूल्यांकन और पुरस्कार पर बैंक के निर्णय के संबंध में राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव लाने का प्रयास करता है, तो इसे एक गंभीर दुष्कर्म के रूप में माना जाएगा। ऐसे मामले में, निविदाकार की निविदा अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगी, इसके अलावा न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए काली सूची में डाल दिया जाएगा, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है। यदि चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसे मामलों



का पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में पता चलता है, तो इस तरह की अयोग्यता तत्काल प्रभाव से होगी ।

2. किसी भी कारण से दोनों पक्षों में से किसी एक द्वारा करार समाप्त किया जा सकता है, दूसरे पक्ष को इस तरह की समाप्ति के लिखित रूप में तीन महीने का नोटिस दिया जा सकता है।

3. वाहनों की आपूर्ति के लिए बैंक द्वारा जारी किसी भी मांग का अनुपालन करने में संविदाकार द्वारा किसी भी देरी या करार के निर्देशों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में, महाप्रबंधक/डीजीएम-प्रभारी, निर्गम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, जम्मू द्वारा माना जाता है कि जुर्माना लगाने के लिए पर्याप्त गंभीर है, उपरोक्त महाप्रबंधक/प्रभारी डीजीएम-प्रभारी क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी अधिकारी के परामर्श से संविदाकार पर प्रत्येक उल्लंघन के लिए 10,000 रुपये (दस हजार रुपये मात्र) से अधिक का जुर्माना नहीं लगा सकते हैं

4. बार-बार या निरंतर देरी के मामले में या इस समझौते के किसी भी प्रावधान के संविदाकार द्वारा किसी भी उल्लंघन के मामले में, बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी अधिकारी के अनुमोदन से महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक-प्रभारी, निर्गम विभाग द्वारा लिखित में सूचना देकर तत्काल प्रभाव से करार को समाप्त कर सकता है, क्या इस तरह के विलंब या उल्लंघन के लिए पहले कोई जुर्माना प्रदान किया गया है लगाया गया है या नहीं।

5. करार की निरंतरता मुख्य रूप से संविदाकार के प्रदर्शन पर निर्भर करेगी । यदि किसी भी समय निष्पादन असंतोषजनक पाया जाता है, तो लिखित रूप में तीन महीने का नोटिस देकर करार समाप्त कर दिया जाएगा।

6. यदि संविदाकार लगातार 3 से अधिक अवसरों के लिए सेवाएं प्रदान करने में विफल रहता है, तब बैंक को यह अधिकार है कि वह बिना किसी सूचना के/दिए करार को समाप्त कर सकता है, चाहे जो भी कारण हो । ऐसे मामले में ट्रांसपोर्टर के पास मुआवजे का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

7. उन सभी मामलों में जहां संविदाकार पर कुल करार मूल्य का पांच प्रतिशत का संचयी जुर्माना लगाया गया है दो साल की प्रारंभिक अवधि से आगे के विस्तार पर विचार नहीं किया जा सकता है।

कानून का अनुपालन:

संविदाकार देश और संबंधित राज्य में लागू सभी प्रासंगिक कानूनों का पालन करेगा। संविदाकार अपनी ओर से किसी भी लापरवाही के कारण बैंक को सभी प्रकार के कानूनी निहितार्थों से क्षतिपूर्ति करेगा और जिसके लिए बैंक



जिम्मेदार नहीं है।

1. बोलीदाता को श्रम, कराधान, कामगार सुरक्षा, बाल और महिला श्रम, रोजगार आरक्षण आदि से संबंधित विभिन्न सांविधिक प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। बोलीदाता को उपयुक्त प्राधिकरणों के तहत पंजीकृत होना चाहिए अर्थात्, जीएसटी प्राधिकरणों/आयकर/पैन/ईपीएफ/ईएसआई प्राधिकरणों/भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908/श्रम लाइसेंस, आदि के साथ पंजीकृत होना चाहिए।

2. संविदाकार मोटर वाहन अधिनियमों के प्रावधानों और संबंधित राज्यों में लागू विभिन्न राज्यों के नियमों का पालन करेगा।

3. संविदाकार अन्य सभी वैधानिक भुगतानों का भुगतान करने के अलावा, केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार समय-समय पर अपने तैनात श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत उपदान का भुगतान जैसे सभी लागू वैधानिक भुगतान करेगा।

4. कामगारों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। इसके अलावा, कामगारों को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अनुसार बोनस और/अथवा लाभांश और ईएसआई अधिनियम, जैसा भी लागू हो, ईएसआई अधिनियम के तहत दिया जाना चाहिए। कर्मचारी राज्य बीमा के अभाव में, संविदाकार को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के तहत कर्मकार प्रतिकर बीमा जैसे बीमा के कवरेज के तहत दायित्व लेना चाहिए। कुल प्रीमियम संविदाकार द्वारा वहन किया जाएगा। संविदाकार के पास अपने कर्मचारियों के लिए ईपीएफ योगदान करने के लिए एक वैध ईपीएफ खाता होगा। किसी भी वैधानिक भुगतान के गैर-अनुपालन के संबंध में किसी भी शिकायत के मामले में; इसे करार को रद्द करने के बैंक के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बिल/बैंक गारंटी से काट लिया जाएगा।

5. संविदाकार को प्रचलित क़ानून के अनुसार अद्यतन किए गए सभी रिकॉर्ड और कानूनी दस्तावेजों को बनाए रखना होगा और मांगे जाने पर प्रबंधन/वैधानिक प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदाकार तिमाही आधार पर बैंक द्वारा सत्यापन के लिए बैंक के काम के लिए सौंपे गए अपने कर्मचारियों के हस्ताक्षर सहित वेतन संवितरण विवरण प्रस्तुत करेगा। यदि भुगतान नकद में किया जाता है, तो यह बैंक के अधिकारी



की उपस्थिति में उनके हस्ताक्षर के तहत किया जाना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, कर्मचारियों के बैंक खाते में क्रेडिट किया जा सकता है और भुगतान को दर्शाने वाले बैंक स्टेटमेंट जमा किए जा सकते हैं।

7. प्रधान नियोक्ता अर्थात् बैंक संविदाकार द्वारा उसे सौंपे गए कर्तव्यों को पूरा करने के लिए संविदाकार द्वारा प्रदान किए गए संविदा श्रमिकों/कर्मचारियों/कर्मचारियों को कोई रोजगार लाभ प्रदान करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। यदि प्रधान नियोक्ता के रूप में बैंक द्वारा लागू किसी भी कानून के अनुसार अपने दायित्व का निर्वहन करने में उसकी ओर से चूक या चूक के कारण संविदाकार द्वारा नियोजित संविदा श्रमिकों/कर्मचारियों/कर्मचारियों को किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, तो ऐसी राशि बैंक द्वारा संविदाकार द्वारा बैंक को देय ऋण के रूप में संविदाकार से वसूल की जा सकती है।

8. संविदाकार किसी भी मजदूर या करार के निष्पादन के लिए उसके द्वारा तैनात अन्य व्यक्तियों द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधान के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक के परिसर के अंदर अपने कर्मचारियों/श्रमिकों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत संविदाकार द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी, और वह उक्त शिकायत के संबंध में अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई करना सुनिश्चित करेगा। संविदाकार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

9. बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ संविदाकार के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।

10. संविदाकार किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा, जिसे संविदाकार के कर्मचारियों को शामिल करने की स्थिति में भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि संविदाकार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है।

गैर-प्रकटीकरण खंड:

संविदाकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण का खुलासा नहीं करेगा, जो इस समझौते के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्व



का निर्वहन करने के दौरान संविदाकार के कब्जे या जानकारी में आ सकता है, किसी भी तीसरे पक्ष को और हर समय इसे सख्त विश्वास में रखेगा। संविदाकार करार के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय इसके दायित्व को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा तक। संविदाकार बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी कारोबारी या तकनीकी पत्र या कहीं और कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने की अनुमति या प्रकट नहीं करेगा। किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए संविदाकार बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त का पालन करने में विफलता को संविदाकार की ओर से करार के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और बैंक हर्जाने का दावा करने और कानूनी उपचार करने का हकदार होगा। संविदाकार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस समझौते के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने का दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट है। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में संविदाकार के दायित्व किसी भी कारण से इस समझौते की समाप्ति या समाप्ति से बचेंगे।

कामगार सुरक्षा और बीमा

क. संविदाकार अकेले ही अपने कर्मियों की सुरक्षा और बीमा या जीवन बीमा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा जो संचालन और रखरखाव कार्यों पर काम कर रहे हैं।

ख. संविदाकार अपनी लागत पर लेकिन बैंक द्वारा अनुमोदित नियमों और शर्तों पर, जोखिमों के खिलाफ बीमा, और कवरेज के लिए, जैसा कि करार में निर्दिष्ट किया जाएगा, बाहर निकालेगा और बनाए रखेगा।

ग. संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि काम करते समय उनके श्रमिकों द्वारा सुरक्षा जूते, दस्ताने आदि जैसे पर्याप्त सुरक्षा गियर का उपयोग किया जा रहा है।

घ. अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय/निरीक्षण के लिए या अन्यथा किसी जनशक्ति को हुई किसी घातक चोट/मृत्यु के मामले में बैंक किसी भी मुआवजे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

ङ. उद्धृत दरें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित/अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होंगी - जहां सेवा की जाती है और इसमें सभी वैधानिक दायित्व शामिल होंगे।



च. संविदाकार करार के तहत प्रदान किए गए सभी कर्मियों के संबंध में देय सभी प्रकार के बकाया के लिए उत्तरदायी होगा और बैंक इस कार्मिक की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किसी भी बकाया राशि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

संविदाकार यह सुनिश्चित करेगा कि तैनात किए जाने वाले व्यक्ति शराबी, नशीली दवाओं के आदी नहीं हैं और बैंक के हित के प्रतिकूल किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हैं। संविदाकार अपने द्वारा तैनात सभी जनशक्ति के लिए पुलिस सत्यापन प्राप्त करना सुनिश्चित करेगा और संविदाकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रतिनियुक्त जनशक्ति अच्छे नैतिक चरित्र का होना चाहिए।

विवाद समाधान प्रणाली और मध्यस्थता

क. यदि करार या कार्यों के निष्पादन के संबंध में बैंक और संविदाकार/प्रतिपक्ष के बीच किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, तो पार्टियों को उस तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर आपसी चर्चा के माध्यम से, सद्भावना के माध्यम से इसे सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास करना चाहिए, जिस दिन कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को बातचीत करने/सौहार्दपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए नोटिस देता है।

ख. यदि उपरोक्त अवधि के अंदर कोई सौहार्दपूर्ण समझौता नहीं हो रहा है, तो विवाद को संदर्भित किया जाएगा और अंतिम रूप से मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार मध्यस्थता या सुलह के माध्यम से हल किया जाएगा, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है। मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय पार्टियों पर बाध्यकारी होगा और करार पर लागू होगा।

ग. यह विधिवत ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस निविदा के नियमों और शर्तों पर किसी भी/सभी विवादों के मामले में, निविदा दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण प्रबल होगा (यदि निविदा अंग्रेजी और किसी अन्य भाषा में एक साथ जारी की जाती है) ।

आवश्यक दस्तावेज़

सभी बोलीदाताओं को अपनी बोलियों के साथ निम्नलिखित जानकारी और दस्तावेज शामिल करने के लिए कहा जाना चाहिए:

1. संविधान या कानूनी स्थिति, पंजीकरण के स्थान और व्यवसाय के प्रमुख



स्थान को परिभाषित करने वाले मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र दस्तावेजों की प्रतियां; बोलीदाता को प्रतिबद्ध करने के लिए बोली के हस्ताक्षरकर्ता की लिखित पावर ऑफ अटॉर्नी। उपयुक्त व्यवसाय लाइसेंस/पंजीकरण:

(अ) जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र

(आ) पैन

(इ) ईपीएफ, ईएसआई, श्रम लाइसेंस की प्रतियां

(ई) निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम, 2005 या राज्य द्वारा प्रख्यापित इसी तरह के अधिनियम/नियमों के तहत वैध लाइसेंस की प्रति जिसमें सेवा की जाती है (सुरक्षा सेवा के मामले में)

2. पिछले पांच वर्षों में से प्रत्येक के लिए निष्पादित सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य।

3. पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के लिए समान प्रकृति और आकार की सेवाओं में कार्य आदेशों और अनुभव की प्रतियां, और सेवाओं का विवरण चल रहा है या संविदात्मक रूप से प्रतिबद्ध है; और उन ग्राहकों के नाम और पते जिनसे उन करारों के बारे में अधिक जानकारी के लिए संपर्क किया जा सकता है।

4. इस करार के लिए कार्यशील पूंजी की पर्याप्तता का प्रमाण (ऋण की सुविधा तक पहुंच और अन्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता)।

5. पिछले तीन वर्षों के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (संबंधित अवधि के लिए बैलेंस शीट के साथ लाभ और हानि (पी/एल) विवरणों की प्रतियां)।

6. बैंक खाते का विवरण।

7. बोलीदाता के बैंकरों से संदर्भ प्राप्त करने का अधिकार।

8. किसी भी मुकदमेबाजी, वर्तमान या पिछले पांच वर्षों के दौरान, जिसमें बोलीदाता शामिल है, संबंधित पक्ष, और विवादित राशि के बारे में जानकारी और,

9. सेवाओं के उप-करार घटकों (यदि कोई हो) के लिए प्रस्ताव करार मूल्य के 10 (दस) प्रतिशत से अधिक की राशि है।

निविदाओं की जांच/मूल्यांकन

दो भागों यानी "कार्य के दायरे और वाणिज्यिक स्थिति" पर **भाग I** और "मूल्य बोली" पर **भाग II** को **शामिल करने वाली निविदाएं** ऑनलाइन बोली पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की जाएंगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. प्रस्तुत किए जाने वाले कार्य के दायरे और वाणिज्यिक स्थितियों पर **भाग I**



जिसमें शामिल हैं -

(अ) ₹47,300/- के लिए एनईएफटी/आरटीजीएस/बैंक ड्राफ्ट/पे ऑर्डर ।
बैंकर चेक के रूप में बयाना जमा राशि (सैंतालीस हजार तीन सौ मात्र)

(आ) इस जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

(इ) निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के नाम पर कंपनी/फर्म की मुहर के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी/प्राधिकार।

(ई) निविदा के तहत प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजी साक्ष्य और दस्तावेज।

(उ) जिसमें यह वचन दिया गया हो कि निविदाकार किसी बैंक/वित्तीय संस्था का जानबूझकर चूककर्ता नहीं है और कंपनी/व्यक्ति के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला नहीं है।

(ऊ) **किसी भी मूल्य को इंगित किए बिना मूल्य विवरण अनुसूची के अनुसार सभी घटकों को सूचीबद्ध करने के लिए नकाबपोश सांकेतिक मूल्य बोली।**

(ऋ) कोई अन्य जानकारी जो निविदाकार प्रस्तुत करना चाहता है।

2. प्रस्तुत की जाने वाली निविदा की "मूल्य बोली" **पर भाग-II** जिसमें मूल्य का विस्तृत विवरण केवल भारतीय रुपये में शामिल है। भाग II में किसी अन्य संलग्नक की अनुमति नहीं है। निविदा के भाग II में पाए गए नियम और शर्तों और विचलन, यदि कोई हो, में परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा और इसे अमान्य माना जाएगा। उद्धृत दरों को संपूर्ण कार्य के लिए माना जाएगा और बिना किसी वृद्धि के स्थिर और बाध्यकारी होगा। उद्धृत दरों में सभी कर, उपकर या शुल्क, लागू अन्य शुल्क, यदि कोई हो, शामिल होना चाहिए।

3. निविदाओं का भाग I निविदाकारों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जाएगा, जो उपस्थित होना चुनते हैं।

4. निविदाओं की पहले यह निर्धारित करने के लिए जांच की जाएगी कि क्या वे पूर्ण हैं और निविदा दस्तावेज में निर्धारित आवश्यक और महत्वपूर्ण आवश्यकताओं, शर्तों आदि को पूरा करते हैं, जो निविदाएं बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती हैं, उन्हें अनुत्तरदायी और अनदेखा किया जा सकता है।

5. केवल उन निविदाकारों में से केवल उन्हीं निविदाकारों की मूल्य बोली (भाग II) जो निविदाओं के भाग-I की जांच के बाद पात्र पाए जाते हैं, उन्हें बाद के कार्य दिवस या बैंक द्वारा सूचित किसी अन्य भविष्य की तारीख को खोला



जाएगा।

6. बैंक उन निविदाकारों को संविदा प्रदान करेगा जिनकी बोली निविदा दस्तावेज में उल्लिखित शर्तों के प्रति पर्याप्त रूप से उत्तरदायी होने के लिए निर्धारित की गई है और जिन्होंने एल 1 प्राप्त करने के लिए करार के सभी घटकों के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अनुमानों के लिए उचित बोली मूल्य की पेशकश की है।

7. निविदाओं का मूल्यांकन निविदा दस्तावेज में पहले से शामिल नियमों और शर्तों के आधार पर किया जाएगा, जिसके आधार पर निविदाएं प्राप्त हुई हैं और निविदाकारों द्वारा अपनी निविदाओं में उल्लिखित नियमों, शर्तों आदि के आधार पर किया जाएगा। निविदाओं की जांच और मूल्यांकन करते समय कोई नई शर्त नहीं लाई जाएगी।

(viii) कार्य की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, बैंक निम्नतम बोली या किसी निविदा को स्वीकार न करने के लिए स्वतंत्र होगा और निविदा प्रक्रिया के किसी भी चरण में, या तो पूर्ण या आंशिक रूप से, बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा।

1. एक से अधिक (01) एल1 बोलीदाता के मामले में, कार्य का विभाजन निम्नानुसार होगा:

(अ) एक से अधिक L1 बोलीदाता होने की स्थिति में, पूरा काम समान रूप से हो सकता है

L1 बोलीदाताओं के बीच वितरित (((50:50), (33.3:33.3:33.3)) आदि।

(आ) अन्यथा, पूरे कार्य को एल 1 और एल 2 के बीच 60:40 (लगभग) के अनुपात में विभाजित किया जा सकता है, बशर्ते कि एल 2 बोलीदाता एल 1 बोलीदाता द्वारा दी गई और स्वीकार की गई दरों को स्वीकार करने के लिए सहमत हो। यह L1 बोलीदाता की आपूर्ति क्षमता पर किसी भी पूर्वाग्रह के बिना है और केवल एक संविदाकार पर पूर्ण निर्भरता को कम करने के लिए है।

(इ) यदि L2 बोलीदाता L1 दर से मेल खाने के लिए सहमत नहीं है तो उस क्रम में L3, L4 आदि बोलीदाता को शेष 40% कार्य देने के लिए L1 दर का मिलान करने का अवसर दिया जाएगा।

(ई) यदि L2, L3, L4 आदि L1 की प्रस्तावित दर से मेल खाने के लिए सहमत नहीं हैं, तो शेष अनुमानित कार्य (40%) भी L1 बोलीदाता को प्रदान किया जा सकता है।



खंड-V

भाग I - कार्य का दायरा और कारोबारी स्थितियां

तकनीकी बोली प्रपत्र

(नोट- ई-टेंडरिंग पोर्टल एमएसटीसी में भरकर अपलोड किया जाना है)

क्रम सं	विवरण	बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सूचना		
1	निविदाकार का नाम			
2	निविदाकार एक कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म, या एकल स्वामित्व			
3	मालिक/ भागीदारों/ निदेशकों का नाम प्रतियां का प्रासंगिक संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज)			
4	अधिकृत व्यक्तियों का नाम तथा पदनाम (करार निष्पादित करने के लिए)			
5	पंजीकृत पता एवं संपर्क करने का पता - कंपनी / पार्टनरशिप फार्म, या सोल प्रोपराइटरी, जैसा भी लागू हो			
6	टेलीफोन नंबर	ऑफिस	रिहायश	मोबाइल
7	ई-मेल आईडी			
8	कार्यालय/ निविदाकार का स्थानीय प्रतिनिधि का नाम और पता जम्मू के नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत			



9	समान कार्य करने का अनुभव (वर्षों की संख्या) (प्रमाण पत्र के साथ)	
10	पिछले तीन वर्षों का औसत वार्षिक कारोबार (लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण संलग्न किए जाने हैं)	2022-23 (रु. लाख में) 2023-24 (रु. लाख में) 2024-25 (रु. लाख में)
11	नवीनतम ऑडिट के अनुसार नेट वर्थ बैलेंस शीट (कॉपी संलग्न की जानी है)	
12	वाहनों के लिए राष्ट्रीय परमिट प्राप्त है या नहीं (वाहनों के राष्ट्रीय परमिट की फोटोकॉपी संलग्न होना चाहिए)	
13	नाम, पता, आईएफएससी कोड, खाता बैंक का प्रकार और संख्या (रद्द किए गए चेक की प्रति संलग्न की जाएगी)	
14	पैन/टैन/जीएसटीएन नंबर (संलग्न किया जाने वाला दस्तावेज)	
15	बैंक के अधिकारियों द्वारा अनुरोध करने के लिए फोन नंबर	लैंडलाइन- मोबाइल-फैक्स



16	ट्रकों/वाहनों का विवरण						
क्रम संख्या	मॉडल वर्ष	पंजीकरण संख्या	क्या ट्रक/वाहन जीपीएस, सीसीटीवी, वायरलेस मोबाइल सूचना साथ सहित हूटर से युक्त है और जिसकी न्यूनतम भंडारण क्षमता 70 नोट बक्सों की है जिनका औसत आकार लगभग 82x71x32 सेंटीमीटर वजन लगभग सिक्कों के लिए 140 किलोग्राम /न्यूनतम 6-10 मीट्रिक टन (हां नहीं)	राष्ट्रीय परमिट संख्या / वैधता की तारीख	क्या ट्रक धातु बॉडी से कवर है /लॉकिंग की व्यवस्था है (हां नहीं)	आरटी ओ द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण पत्र समाप्त होने की तारीख	आपूर्तिकर्ता द्वारा एक समय में कितने वाहनों की व्यवस्था की जा सकती है

17. उन संस्थानों का विवरण जिनके साथ निविदाकार ने समान करार किए हैं (उनके समर्थन में दस्तावेज/प्रमाण पत्र संलग्न किए जाने हैं)



क्रम संख्या	संस्था का नाम	पता और टेलीफोन नंबर (प्रासंगिक दस्तावेज़)सबमिट करें	संविदा की अवधि	संस्था में किए गए कार्य का वास्तविक मूल्य (₹)

18. क्या परिवहन वाहनों के चालकों के चरित्र और पूर्ववृत्त पुलिस द्वारा सत्यापित और प्रमाणित हैं? - हाँ/नहीं

19. (क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक अथवा राज्य/केन्द्र सरकार के विभाग द्वारा निविदाकार को कभी ब्लैक लिस्ट में डाला गया है? - हाँ/नहीं
(यदि फर्म या उसके निदेशकों को आरबीआई द्वारा आवेदन करने या ब्लैक लिस्ट में डालने से रोक दिया गया है या किसी आपराधिक अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है, तो उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है)।

(ख) क्या फर्म अथवा उसके निदेशकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही किसी न्यायालय में लंबित है? हां नहीं

यदि हाँ, तो विवरण दें (एक अलग शीट संलग्न की जा सकती है)

20. क्या करार के नियम और शर्तें निविदाकार को स्वीकार्य हैं? – हां/नहीं
यदि हां, तो इस निविदा दस्तावेज के अनुभाग- III और खंड IV में दिए गए करार के नियमों और शर्तों की एक प्रति, प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षरित, निविदा के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए।

21. भारतीय रिजर्व बैंक, जम्मू के खाते में एनईएफटी के माध्यम से जमा बयाना राशि का विवरण:

एनईएफटी विवरण:

राशि: ₹47,300/- (सैंतालीस हजार तीन सौ रुपये मात्र)

नाम: - आरबीआई जम्मू

खाता संख्या: - 8714295



खाता प्रकार: - चालू

IFSC कोड: - RBIS0JMPक01 (दोनों शून्य) NEFT आवक खाता

लेन-देन संख्या (स्कैन की गई प्रति) के साथ प्रेषण का प्रमाण संलग्न/अपलोड किया जाएगा। बोलीदाताओं को यह भी सलाह दी जाती है कि वे लेन-देन संख्या के साथ प्रेषण/भुगतान का प्रमाण issuejammu@rbi.org.in और arslankhan@rbi.org.in को भेजें ।

22. घोषणा: - निविदाकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला विवरण

क) मैं/हम इस बात से भी सहमत हैं कि हमारी निविदा निविदा के भाग- I के खुलने की तारीख से 90 दिनों के लिए बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेगी और वैधता की इस अवधि को ऐसी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है जो बैंक और मुझे/हमारे बीच लिखित रूप में पारस्परिक रूप से सहमत हो सकती है।

ख) यदि इस निविदा को स्वीकार कर लिया जाता है, तो मैं/हम इसके द्वारा निविदा की सभी शर्तों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं और डिफॉल्ट रूप से, आपको या आपके उत्तराधिकारियों, या समनुदेशितियों या नामांकित व्यक्तियों को ऐसी रकम जब्त करने और भुगतान करने के लिए सहमत हैं जो करार की लिखित स्वीकृति के साथ निविदा में निहित शर्तों में निर्धारित हैं।

ग) मैं/हम समझते हैं कि आप किसी भी या सभी निविदा को कोई कारण बताए बिना पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं ।

घ) निविदा ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से दो भागों में प्रस्तुत की जाती है, अर्थात् भाग I और भाग II भाग I में सभी वाणिज्यिक नियम और शर्तें और तकनीकी विवरण शामिल हैं और भाग II में बैंक के प्रोफार्मा में केवल मूल्य बोली शामिल है।

ङ) मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और सही है और यदि उनमें से कोई भी बाद में गलत/गलत साबित होती है, तो बैंक कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है जो वह उचित समझे।

च) मैं/हम समझते हैं कि यदि मुझे/हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी गलत/गलत पाई जाती है तो हमारी निविदा किसी भी स्तर पर



अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है और इस संबंध में आरबीआई का निर्णय अंतिम होगा।

इस दिनांकित _ का दिन __ 2026.

मैसर्स की ओर से और उसकी ओर से _____

(मुहर के साथ हस्ताक्षर)

नाम _____

पदनाम _____

स्थान _____

तारीख

(उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ता की पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रमाणित सच्ची प्रति संलग्न की जानी चाहिए) ।

गवाह:

(एक) नाम, पता और तारीख के साथ हस्ताक्षर	(दो) नाम, पता और तारीख के साथ हस्ताक्षर
-----------------------------------------	-----------------------------------------



खंड VI

तकनीकी बोली के साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

1. अनुभव प्रमाण पत्र
2. पिछले तीन वर्षों के वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षित विवरण
3. नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार बैंक द्वारा विधिवत प्रमाणित ऋण शोधन प्रमाण पत्र ।
4. फर्म के गठन से संबंधित प्रासंगिक दस्तावेज जिसमें प्रोपराइटर/पार्टनर/निदेशकों का विवरण हो, जैसा भी मामला हो
5. निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के नाम पर कंपनी/फर्म की मुहर के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी/प्राधिकार
6. जिसमें यह वचन दिया गया हो कि निविदाकार किसी बैंक/वित्तीय संस्था का विलफुल डिफॉल्टर नहीं है और कंपनी/व्यक्ति के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला नहीं है
7. पैन/टैन और जीएसटीएन नंबर की प्रतियां, जैसा भी लागू हो
8. जम्मू के नगरपालिका क्षेत्र के अंदर कार्यालय/स्थानीय प्रतिनिधि का विवरण
9. वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति/बीमा प्रतियां/फिटनेस प्रमाण पत्र (न्यूनतम 5 वाहन)
10. नियोजित वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड की प्रति
11. कंपनी के निगमन/पंजीकरण के प्रमाणन के प्रमाणन की प्रति
12. वाहनों के राष्ट्रीय परमिट की फोटोकॉपी
13. कंपनी की मुहर के साथ निविदाकार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उसी की एक प्रति जमा करके आवेदक द्वारा करार के नियमों और शर्तों (धारा III और धारा IV में निहित) की स्वीकृति
14. एनईएफटी के माध्यम से आरबीआई, जम्मू खाते में जमा की गई बयाना राशि की सलाह
15. पिछले एक वर्ष के बैंक स्टेटमेंट
16. फर्म के रद्द किए गए चेक की प्रति



खंड VI

नोट: उपरोक्त सभी दस्तावेजों को ई-निविदा पोर्टल के माध्यम से बोलियां जमा करते समय तकनीकी बोली के साथ निविदाकार द्वारा प्रस्तुत/अपलोड किया जाना चाहिए। निविदाकार द्वारा उपर्युक्त दस्तावेजों में से कोई भी प्रस्तुत न करने की स्थिति में, निविदा को बैंक के विवेकाधिकार पर भाग- 1 में अयोग्य माना जाएगा।



खंड VII

भाग- I (तकनीकी बोली) योग्यता

मानदंड का मूल्यांकन

इस निविदा दस्तावेज में पहले निर्धारित पात्रता मानदंड को तकनीकी बोली पर विचार करने के लिए पूरा किया जाना चाहिए। इसके अलावा, निम्नलिखित मानदंडों पर भी विचार किया जाएगा:

क्र म सं	तकनीकी मूल्यांकन के पैरामीटर	क्या सभी मानदंडों को पूरा कर रहे हैं / क्या आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं	क्या निविदा के भाग -I के अनुसार अर्हता प्राप्त करने के योग्य है	टिप्पणियां
1	केंद्र / राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / राष्ट्रीयकृत बैंकों / प्रतिष्ठित संगठनों के समान प्रकार की सेवाओं (समान कार्य का अर्थ है कि एक ही निविदा / करार के तहत निष्पादित प्रत्येक समान पूर्ण कार्य का अर्थ है) के न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव। सेवा की अवधि के साथ ऐसे केंद्रीय/राज्य/सार्वजनिक उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची के साथ प्रदान की गई सेवाएं प्रस्तुत की जाएंगी।			



2	पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान करार के अनुमानित व्यय के कम से कम 30 प्रतिशत का न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार - लेखा परीक्षा के साथ वित्तीय विवरण समर्थित होना चाहिए			
3	सकारात्मक निवल मूल्य - सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र बैंक द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाना चाहिए			
4	क्या वाहनों के लिए राष्ट्रीय परमिट प्राप्त है			
5	क्या परिवहन वाहनों के चालकों के चरित्र और पूर्ववृत्त पुलिस द्वारा सत्यापित और प्रमाणित हैं? (यदि पहले से नहीं किया गया है, तो कार्य आदेश प्राप्त होने से पहले इसे प्रस्तुत करना होगा			
6	क्या निविदाकार को कभी आरबीआई या राज्य / केंद्र सरकार के किसी विभाग द्वारा प्रतिबंधित सूची में डाला गया है ।			
7	क्या फर्म या इसके निदेशक के खिलाफ कोई कार्यवाही किसी न्यायालय में लंबित हैं?			
8	क्या निविदा दस्तावेज की धारा III और IV में दिए गए करार के नियम और शर्तें निविदाकार को स्वीकार्य हैं? यदि हाँ, तो प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षरित			



	उसी की एक प्रति होनी चाहिए			
9	क्या निविदाकार द्वारा बैंक को बयाना धन जमा ₹47,300/- का भुगतान किया गया है? यदि हाँ, तो एनईएफटी विवरण की एक प्रति संलग्न की जाए ।			
10	क्या जम्मू नगरपालिका क्षेत्र के अंदर दिए गए स्थानीय / कार्यालय के प्रतिनिधि का विवरण समर्थित दस्तावेजों के साथ दिया गया है ।			

उपर्युक्त मूल्यांकन मानदंडों को पूरा करने वाली निविदाएं ही निविदा के भाग-1 में अर्हता प्राप्त करेंगी और भाग- II अर्थात वित्तीय बोली के लिए पात्र होंगी। हालांकि, बैंक अपने विवेकाधिकार के तहत किसी भी मानदंड को शिथिल करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जो सभी पर लागू होता है।



खंड-VIII
भाग II - मूल्य बोली

बैंकनोटों/सिक्कों के परिवहन के लिए ट्रक/वाहन शुल्क
बैंकनोटों/सिक्कों के परिवहन के लिए पर्याप्त संख्या में पूरी
तरह से कवर हुए कंटेनर ट्रकों/वाहनों की आपूर्ति के लिए
उद्धृत दरें (जीएसटी को छोड़कर) (01.04.2026 से
31.03.2028)

क्र म सं	कार्य की प्रकृति	दर	
		शब्दों में	संख्या में
1.	भारतीय रिजर्व बैंक, जम्मू से जम्मू नगरपालिका सीमा के अंदर स्थानों तक पूरे ट्रक (पूरी तरह से धातु के बॉडी से कवर हुए) का परिवहन शुल्क (निश्चित दरें)		
2.	भारतीय रिजर्व बैंक, जम्मू से जम्मू नगरपालिका सीमा के अंदर स्थानों तक हाफ ट्रक (पूरी तरह से धातु के निकायों से कवर हुए) का परिवहन शुल्क (निश्चित दरें)		
3.	जम्मू नगरपालिका की सीमा के अंदर टैक्सी (07 व्यक्तियों की न्यूनतम बैठने की क्षमता) का परिवहन शुल्क (निश्चित दरें) ।		
4.	पूर्ण ट्रक का परिवहन शुल्क (पूरी तरह से कवर किया गया धातु बॉडी के साथ) भारतीय रिजर्व बैंक, जम्मू से अन्य स्थानों तक (प्रति किलोमीटर के आधार पर)		
5.	भारतीय रिजर्व बैंक, जम्मू से अन्य स्थानों (प्रति किलोमीटर के आधार पर) के लिए हाफ ट्रक (पूरी तरह से धातु के निकायों से कवर		



	हुए) का परिवहन प्रभार (प्रति किलोमीटर के आधार पर)		
6.	भारतीय रिज़र्व बैंक, जम्मू से अन्य स्थानों के लिए टैक्सी (07 व्यक्तियों की न्यूनतम बैठने की क्षमता) का परिवहन शुल्क (प्रति किलोमीटर के आधार पर)		
7.	ट्रक के लिए रात्री रुकने का शुल्क (24 घंटे तक)		
8.	टैक्सी के लिए रात्री रुकने का शुल्क (24 घंटे तक)		

***सभी उद्धृत दरें लागू जीएसटी दरों से अलग होनी चाहिए।**

कंपनी/फर्म के अधिकृत अधिकारी का नाम:

हस्ताक्षर (कंपनी/फर्म की मुहर के साथ):

नोट: प्रति किमी शुल्क (प्रति दिन न्यूनतम चलने की स्थिति स्वीकार्य नहीं है) (ऊपर दी गई वित्तीय बोली का प्रोफार्मा केवल आपके संदर्भ के लिए है। वित्तीय बोली केवल एमएसटीसी ई-टेंडरिंग पोर्टल में भरी जाएगी)